II वास्तविक अर्थव्यवस्था

समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य

2.1 विश्व के कई भागों में आर्थिक क्रियाकलापों में मंदी की स्थिति और खराब होने से प्रभावित होनेवाली अनिश्चित विश्वव्यापी परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था के समष्टिगत आर्थिक निष्पादन ने पुनः उभरने की स्थिति दर्शायी । कृषि उत्पादन में आए असाधारण उछाल से लाभान्वित होते हुए, भारत का वास्तविक देशी उत्पाद 1999-2000 के 6.1 प्रतिशत से गिरकर 2000-01 में 4.0 प्रतिशत रह जाने के विपरीत 2001-02 में 5.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई । 2001-02 में खाद्यान्न उत्पाद ने 211.3 मिलियन टन का उच्च शिखर छू लिया गया, जबकि गैर-खाद्यान्न उत्पादन में गन्ना को छोड़कर, महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । मार्च 2002 की समाप्ति पर खाद्यान्न भंडार ने 51.0 मिलियन टन का स्तर छू लिया जो वर्तमान मानदंडों से तीन गुने से भी ज्यादा है । दूसरी तरफ, विनिर्माण क्षेत्र में आई उल्लेखनीय मंदी के चलते, औद्योगिक उत्पादन को सुस्पष्ट और बड़े पैमाने पर गिरावट का सामना करना पड़ा । पूंजीगत माल और कच्चे तेल के उत्पादन में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई । सेवा क्षेत्र से प्राप्त होनेवाला वास्तविक सकल देशी उत्पाद 2000-01 के 5.0 प्रतिशत से ऊपर उठकर, 2001-02 में 6.2 प्रतिशत हो गया, जोकि वित्तीय सेवाओं, विशेषकर वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदाओं (रीयल एस्टेट) और कारोबारी सेवाओं में बेहतर कार्य-निष्पादन को प्रदर्शित करता है (सारणी 2.1 और परिशिष्ट सारणी II.1) ।

2.2 सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अग्रणी बना रहा, 2001-02 में सकल देशी उत्पाद में इसका हिस्सा 54 प्रतिशत से भी ज्यादा रहा और वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि में इसका योगदान 62.2 प्रतिशत रहा (चार्ट II.1) । 1997-98 से कृषि और संबंधित गतिविधियों का समग्र सकल देशी उत्पाद में योगदान सामान्यतः कम रहा है और उस वर्ष तथा 2000-01 में इसका नकारात्मक योगदान रहा । उत्पादन में विशेष सुधार के कारण 2001-02 में समग्र वृद्धि में इसके योगदान की सकारात्मक स्थिति होने के बावजूद, कृषि और संबद्ध गतिविधियों का सकल देशी उत्पाद में हिस्सा निरन्तर गिरते हुए 1996-97 के 28.5 प्रतिशत से घटकर 2001-02 में 24.3 प्रतिशत रह गया । साथ ही उद्योग का सकल देशी उत्पाद में हिस्सा इसके समग्र सकल देशी उत्पाद वृद्धि में योगदान के साथ-साथ नीचे गिरा ।

त्रैमासिक स्थिति

2.3 वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए कृषि से वास्तविक सकल देशी उत्पाद और सकल देशी उत्पाद में 2000-01 की दूसरी तिमाही और 2001-02 की चौथी तिमाही का संयोगात्मक उच्चस्तर और 2000-01 की तीसरी और चौथी तिमाही के संयोगात्मक निम्नस्तर पर रहने का यह संकेत है कि मुख्यतः कृषि गतिविधियों में उतार-चढ़ाव समग्र सकल देशी उत्पाद के मार्ग को प्रभावित और उसकी राह निर्धारित करते हैं (चार्ट II.2 और परिशिष्ट सारणी II.2) ।

2.4 औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर में 2000-01 की तीसरी तिमाही

सारणी 2.1 : सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर और क्षेत्रवार संरचना (1993-94 के मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

	क्षेत्र	वृद्धि दर			सकल देशी उत्पाद में हिस्सा		
		2001-02#	2000-01*	1999-00@	2001-02#	2000-01*	1999-00@
	1	2	3	4	5	6	7
1.	**कृषि और संबंधित गतिविधियां**	**5.7**	**-0.2**	**1.3**	**24.3**	**24.2**	**25.2**
	1.1 कृषि	–	-0.4	1.0	–	22.2	23.2
2.	**उद्योग**	**2.9**	**6.2**	**4.2**	**21.5**	**22.1**	**21.6**
	2.1 खनन और उत्खनन	1.8	3.3	2.0	2.2	2.3	2.3
	2.2 विनिर्माण	2.8	6.7	4.2	16.8	17.2	16.8
	2.3 विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	4.6	6.2	6.1	2.5	2.5	2.5
3.	**सेवाएं**	**6.2**	**5.0**	**9.4**	**54.1**	**53.7**	**53.2**
	3.1 निर्माण	3.6	6.8	8.1	5.2	5.3	5.1
	3.2 व्यापार,होटल,रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संचार	6.2	5.3	7.6	22.5	22.3	22.1
	3.3 वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं	7.8	2.9	10.6	12.9	12.6	12.7
	3.4 सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	5.9	6.0	11.6	13.6	13.5	13.3
4.	**उत्पादन लागत पर सकल देशी उत्पाद**	**5.4**	**4.0**	**6.1**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

संशोधित अनुमान * त्वरित अनुमान @ अनंतिम अनुमान – उपलब्ध नहीं

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

चार्ट II.1 आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रवार वितरण

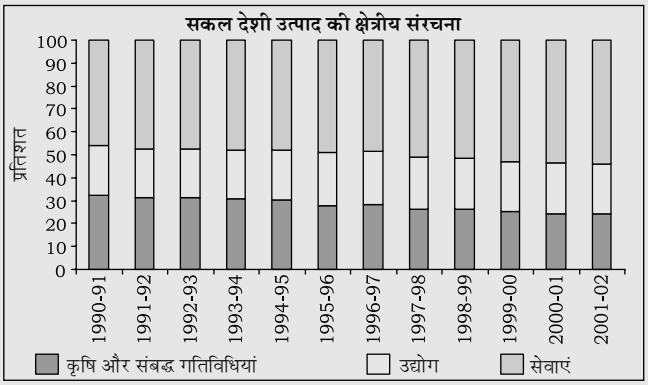

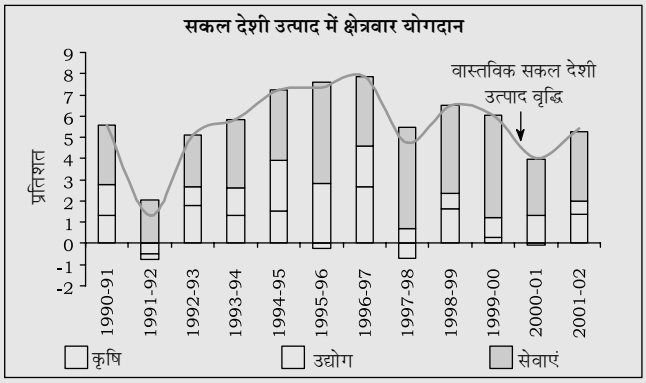

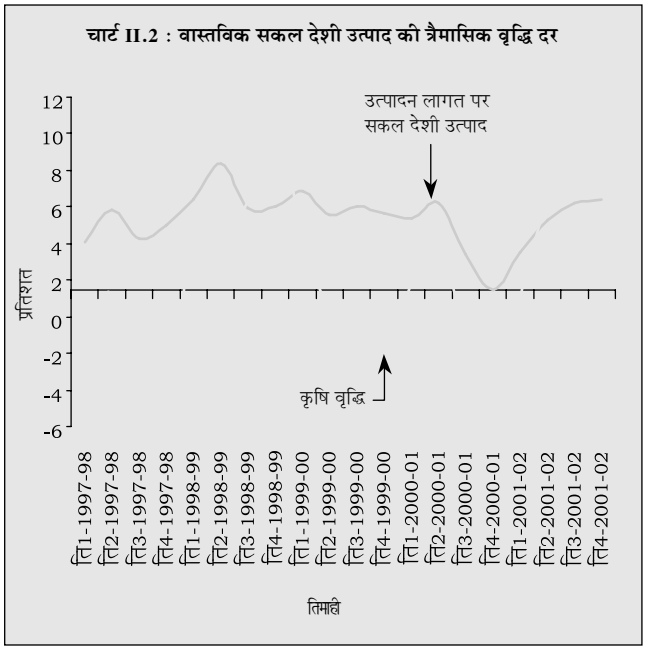

के बाद तीव्र गिरावट दर्ज की गई जिसमें 2001-02 में ठहराव आया, यह 2001-02 की पहली तिमाही के 2.5 प्रतिशत से कुछ ऊपर उठकर 2001-02 की चौथी तिमाही में 3.4 प्रतिशत तक पहुंची । सेवा क्षेत्र की तिमाही वृद्धि दर 2000-01 की चौथी तिमाही और 2001-02 की चौथी तिमाही के दौरान 2.9 प्रतिशत से और 7.0 प्रतिशत के बीच ऊपर-नीचे होती रही (सारणी 2.2) ।

सकल मांग

2.5 सांकेतिक दृष्टिकोण से सकल मांग का वितरण यह 2000-01 में निजी अंतिम खपत व्यय से सरकारी अंतिम खपत व्यय का मामूली-सा संरचनात्मक बदलाव प्रदर्शित करता है । दूसरी तरफ सकल देशी उत्पाद के प्रति सरकारी अचल पूंजी निर्माण की दर 1994-95 से 1996-97 की अवधि के दौरान औसत 7.8 प्रतिशत की उच्च वृद्धि से 1997-98 से 1999-2000 के दौरान एक प्रतिशत बिंदु नीचे गिर गयी, जिसमें 2000-01 में मामूली-सी वृद्धि दर्ज हुई । निजी अचल पूंजी निर्माण की दर मंद बनी रही जो 1990 के दशक से सकल देशी उत्पाद के 15 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है । स्टाक में परिवर्तन की दर 1999-2000

सारणी 2.2 सकल देशी उत्पाद के त्रैमासिक अनुमान (1993-94 के मूल्यों पर)

क्षेत्र	पिछले वर्ष की तदनुरूपी तिमाही की तुलना में हुआ प्रतिशत परिवर्तन							
	2001-02				2000-01			
	$ति_1$	$ति_2$	$ति_3$	$ति_4$	$ति_1$	$ति_2$	$ति_3$	$ति_4$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	**1.1**	**6.3**	**7.6**	**7.6**	**1.8**	**3.9**	**-0.8**	**-4.0**
2. विनिर्माण	**2.5**	**2.7**	**3.0**	**3.4**	**7.6**	**6.4**	**7.0**	**4.1**
2.1 खनन और उत्खनन	-0.3	0.7	3.1	3.5	4.8	3.6	4.3	0.9
2.2 विनिर्माण	2.7	2.6	2.9	3.1	8.1	7.1	7.1	4.6
2.3 विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	3.9	5.4	3.8	5.4	7.1	4.5	9.3	4.0
3. सेवाएं	**5.1**	**6.0**	**6.6**	**7.0**	**6.3**	**6.9**	**4.4**	**2.9**
3.1 निर्माण	-0.2	2.7	4.4	7.5	12.4	10.0	7.2	-1.2
3.2 व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण और संचार	4.5	6.3	6.6	7.2	8.1	6.3	4.8	2.4
3.3 वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं	7.0	7.6	8.1	8.3	3.7	3.9	2.1	2.0
3.4 सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	6.5	5.4	6.2	5.6	3.2	9.8	5.0	5.8
4. उत्पादन लागत पर सकल देशी उत्पाद	**3.5**	**5.3**	**6.2**	**6.4**	**5.4**	**6.2**	**3.4**	**1.5**

टिप्पणी : आँकड़ें अनंतिम हैं ।
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

के 1.7 प्रतिशत से पर्याप्त कम होकर 2000-01 में 1.0 प्रतिशत रह गई, जो आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन और उत्पादन के लिए मांग को दर्शाती है । आयातों को घटाकर निवल निर्यात आयातों के लिए घरेलू मांग में मंदी को प्रदर्शित करते हुए 1999-2000 में सकल देशी उत्पाद के (-) 2.0 प्रतिशत से बेहतर होकर 2000-01 में (-) 0.8 प्रतिशत रहा (सारणी 2.3) ।

सारणी 2.3 : सांकेतिक सकल देशी उत्पाद का मांग वितरण (चालू बाजार मूल्य पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

मद	2000-01*	1999-00@	1998-99@	1997-98	1994-95 से 1996-97 (औसत)
1	2	3	4	5	6
1. निजी अंतिम खपत	64.2	65.4	65.1	64.1	64.9
2. सरकारी अंतिम खपत	13.2	12.9	12.3	11.3	10.7
3. निजी अचल पूंजी निर्माण	15.1	15.2	15.1	15.3	15.3
4. सरकारी अचल पूंजी निर्माण	6.8	6.4	6.5	6.4	7.8
5. स्टाक में परिवर्तन	1.0	1.7	-0.1	0.9	0.9
6. आयातों को घटाकर निवल निर्यात	-0.8	-2.0	-1.7	-1.3	-0.9
जिसमें से: निर्यात	13.9	11.8	11.2	10.9	10.5
आयात	14.7	13.8	12.9	12.1	11.4

* त्वरित अनुमान @ अनंतिम
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

2.6 वास्तविक दृष्टि से 2000-01 में अंतिम खपत व्यय की वृद्धि दर तेजी से नीचे गिरकर 2.9 प्रतिशत पर आ गई, जोकि 1994-95 से 1996-97 की उच्च वृद्धि की अवधि के दौरान की 6.0 प्रतिशत औसत दर से काफी नीचे है । वास्तविक अंतिम खपत मांग में गिरावट निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों से हुई । उल्लेखनीय रूप में, वास्तविक सकल देशी पूंजी निर्माण की वृद्धि में 1999-00 के 15.7 प्रतिशत से सुस्पष्ट कमी आकर 2000-01 में यह 2.0 प्रतिशत रह गई, जो कि सार्वजनिक और निजी निवेश में नरमी को प्रतिबिंबित करता है । वास्तविक निवेश में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव मुख्यतः स्टाक / संपत्ति सूची दर के व्यवहार की अस्थिरता और कुछ हद तक वास्तविक अचल पूंजी निर्माण में तुलनात्मक मामूली-सी अस्थिरता को प्रदर्शित करते हैं (सारणी 2.4) ।

पूंजी निर्माण

2.7 चालू मूल्यों पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर 1999-00 के 24.3 प्रतिशत से गिरकर 2000-01 में 24.0 प्रतिशत रह गयी जो मूलतः निजी कंपनी निवेश की दर में 1999-00 के 6.5 प्रतिशत के मुकाबले 2000-01 में गिरकर 5.9 प्रतिशत रह जाने के कारण हुई । 1999-2000 और 2000-01 में सार्वजनिक क्षेत्र की निवेश दर 7.1 प्रतिशत पर स्थायी बनी रही (सारणी 2.5, चार्ट II.3 और परिशिष्ट सारणी II.3) ।

सारणी 2.4 : वास्तविक प्रभावी मांग के चुनिंदा स्रोतों में वृद्धि #

(प्रतिशत)

Item	2000-01*	1999-00@	1998-99@	1997-98	1994-95 से 1996-97 (औसत)
1	2	3	4	5	6
1. कुल अंतिम खपत व्यय	2.9	6.5	7.4	3.8	6.0
जिसमें से :					
निजी अंतिम खपत	2.2	5.5	6.4	2.6	6.2
सरकारी अंतिम खपत	6.5	12.0	12.9	11.1	4.6
2. कुल निवेश +	2.0	15.7	1.3	7.7	11.0
निजी निवेश ++	1.1	18.1	2.6	16.4	16.3
सार्वजनिक निवेश ++	3.0	16.2	7.3	-0.8	1.4
3. कुल मीयादी निवेश	4.7	8.6	8.7	2.1	10.9
जिसमें से :					
निजी मीयादी	2.4	10.0	8.4	4.1	16.3
सार्वजनिक मीयादी	10.9	4.9	9.4	-2.8	1.9

\# बाजार मूल्यों पर वास्तविक सकल देशी उत्पाद के चुनिंदा वितरण पर आधारित
* त्वरित अनुमान
@ अनंतिम
\+ भूल चूकों के लिए समायोजित
++ भूल चूकों के लिए असमायोजित
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

सारणी 2.5 : सकल पूंजी निर्माण की क्षेत्रवार दरें

मद	(चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में) 2000-01*	1999-00@	1998-99
1	2	3	4
1. पारिवारिक क्षेत्र	9.9	9.6	8.4
2. सार्वजनिक क्षेत्र	7.1	7.1	6.6
3. निजी कंपनी क्षेत्र	5.9	6.5	6.4
4. सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ)#	24.0	24.3	22.7

* त्वरित अनुमान @ अनंतिम
\# चूंकि जीडीसीएफ भूल चूकों के लिए समायोजित की जाती है अतः क्षेत्रवार पूंजी निर्माण जीडीसीएफ में नहीं जोड़ा जाता।
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

बचत

2.8 सकल घरेलू बचत (चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जीडीएस) की दर 1999-2000 के 23.2 प्रतिशत की तुलना में मामूली-सी बढ़कर 2000-01 में 23.4 प्रतिशत हो गई (सारणी 2.6 और परिशिष्ट सारणी II.3) । समस्त घटक क्षेत्रों ने अपनी बचत दर में वृद्धि दर्ज की, सिवाय सार्वजनिक क्षेत्र के जिसकी अधिव्यय की दर 1999-00 के 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 2000-01 में 1.7 प्रतिशत हो गयी (चार्ट II.4) ।

चार्ट II.3 : सकल पूंजी निर्माण की संरचना

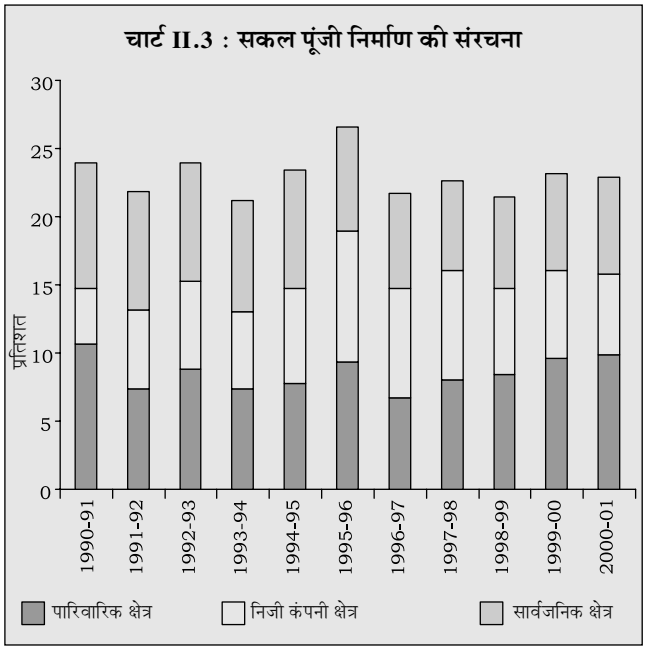

चार्ट II.4 : बचत की संरचना

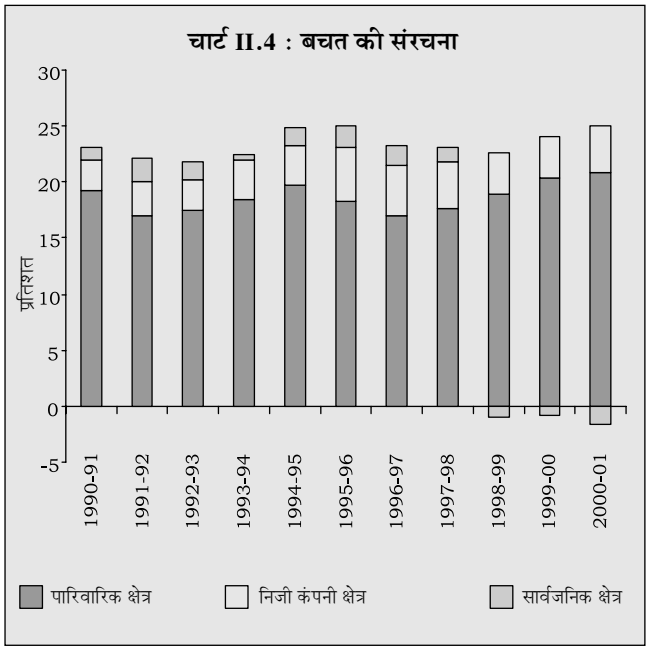

2.9 बचत के प्रमुख घटक - पारिवारिक क्षेत्र की बचत दर 2000-01 में 0.6 प्रतिशत बिंदु बढ़ी । भौतिक आस्तियों और वित्तीय आस्तियों दोनों के बचत भाग में वृद्धि हुई । जहां पारिवारिक क्षेत्र ने 1990 के दशक में देखी गयी सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप भौतिक आस्तियों के विरुद्ध वित्तीय आस्तियों के रूप में बचत करने की अपनी वरीयता को जारी रखा, वहीं हाल के वर्षों में वित्तीय आस्तियों और भौतिक आस्तियों की बचत दरों के मध्य अंतर कम होता जा रहा है ।

2.10 2000-01 में पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचतों में सुधार बैंक जमाराशियों पर दावे और बीमा निधियों के हिस्से में वृद्धि के रूप में हुआ । दूसरी ओर भविष्य निधि और पेंशन निधि, मुद्रा धारिता तथा शेयर और डिबेंचरों में, पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि हुई (चार्ट II.5 और परिशिष्ट सारणी II.4) ।

सारणी 2.6 : सकल घरेलू बचत और क्षेत्रवार बचत दरें

		(चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)		
मद		2000-01*	1999-00@	1998-99
	1	2	3	4
1.	पारिवारिक बचत	20.9	20.3	18.9
	1.1 वित्तीय आस्तियां	11.0	10.8	10.5
	1.2 भौतिक आस्तियां	9.9	9.6	8.4
2.	सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें	-1.7	-0.9	-1.0
3.	निजी कंपनी बचतें	4.2	3.7	3.7
4.	सकल घरेलू बचतें (1+2+3)	23.4	23.2	21.7

* त्वरित अनुमान @ अनंतिम
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

2.11 नवीनतम उपलब्ध आंकडों के आधार पर रिज़र्व बैंक के अनंतिम अनुमानों ने पारिवारिक वित्तीय बचत की दर 2000-01 के संशोधित अनुमानों 10.8 प्रतिशत की तुलना में 2001-02 में 10.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है (सारणी 2.7) । लिखतवार, पारिवारिक वित्तीय बचत दर में यह मामूली-सा सुधार मूलतः पारिवारिक क्षेत्र द्वारा धारित मुद्रा और सरकार पर दावों के कारण आया; इसके विपरीत, बैंकेतर जमा राशियों के कारण पारिवारिक जमाराशियों की बचत दर अनुमानतः 2000-01 के 5.0 प्रतिशत की तुलना में 2001-02 में मामूली-सी गिरकर 4.9

चार्ट : II.5 : पारिवारिक क्षेत्र वित्तीय बचत (सकल) का वितरण

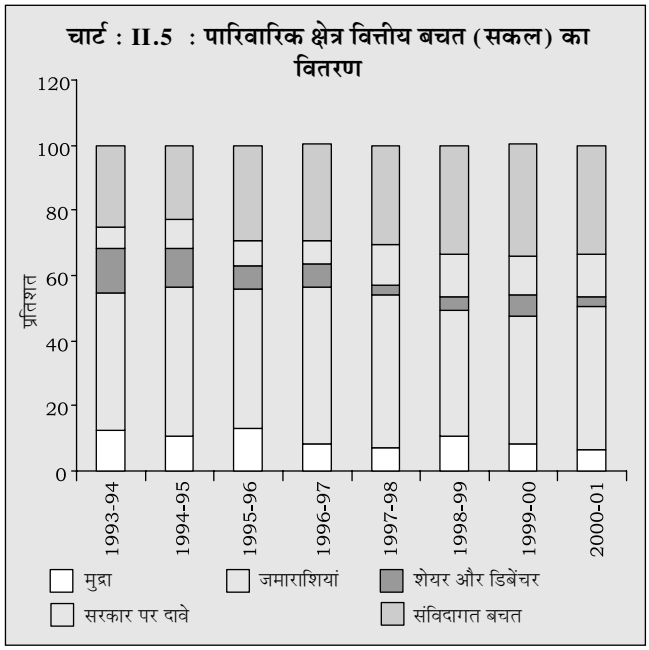

सारणी 2.7 : वित्तीय आस्तियों में पारिवारिक बचतें

(राशि करोड़ रुपयों में)

मद	2001-02#	2000-01अ	1999-00अ	1998-99
1	2	3	4	5
क. वित्तीय आस्तियाँ (सकल)	2,91,405	2,56,734	2,39,058	2,07,390
अ) चालू बाजार मूल्यों पर सदेउ के प्रतिशत के रूप में	12.7	12.3	12.4	11.9
1. मुद्रा	28,192	17,686	20,845	21,822
अ) चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	1.2	0.8	1.1	1.3
आ) वित्तीय आस्तियों (सकल) के प्रतिशत के रूप में	9.7	6.9	8.7	10.5
2. जमाराशियां @	1,12,517	1,05,078	89,598	80,520
अ) चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	4.9	5.0	4.6	4.6
आ) वित्तीय आस्तियों (सकल) के प्रतिशत के रूप में	38.6	40.9	37.5	38.8
3. सरकार पर दावे	49,923	39,008	28,985	28,220
अ) चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	2.2	1.9	1.5	1.6
आ) वित्तीय आस्तियों (सकल) के प्रतिशत के रूप में	17.1	15.2	12.1	13.6
4. शेयरों और डिबेंचरों में निवेश+	6,946	6,135	17,045	6,992
अ) चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	0.3	0.3	0.9	0.4
आ) वित्तीय आस्तियों (सकल) के प्रतिशत दर्शाती है	2.4	2.4	7.1	3.4
5. संविदागत बचतें**	93,827	88,828	82,585	69,836
अ) चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	4.1	4.3	4.3	4.0
आ) वित्तीय आस्तियों (सकल) के प्रतिशत के रूप में	32.2	34.6	34.5	33.7
ख. वित्तीय देयताएं	40,451	32,229	35,275	26,773
अ) चालू बाजार मूल्य पर सदेउ के प्रतिशत के रूप में	1.8	1.5	1.8	1.5
ग. वित्तीय आस्तियों में बचत (निवल) (क-ख)	2,50,954	2,24,505	2,03,783	1,80,617
अ) चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	10.9	10.8	10.6	10.4

\# प्रारंभिक अ अनंतिम
@ बैंक जमाराशियां, बैंकेतर जमाराशियां और व्यापार ऋण (निवल) शामिल है ।
\+ भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट और अन्य म्युचूअल फंडों सहित
** जीवन बीमा, भविष्य निधि और पेंशन निधि शामिल है

नोट :
1. नवीनतम उपलब्ध सूचना पर आधारित, ये आंकड़े जुलाई 2002 में संशोधित किए गए है अतः जनवरी 2002 में जारी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के त्वरित अनुमानों पर प्रकाशित आंकड़ों से इनकी समानता संभव नहीं हैं ।
2. पूर्णांकित किए जाने के कारण इनका जोड़ कुल जोड़ से मेल नहीं खायेगा ।
3. 2001-02 के चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के आंकड़े अभी तक केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त नहीं हुए हैं । इस सारणी में जून 2002 में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी 2001-02 के लिए चालू मूल्यों पर उत्पादन लागत पर सकल देशी उत्पाद के संशोधित अनुमानों के आधार पर 2001-02 के लिए चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद का अनुमान लगाया गया है ।

प्रतिशत रह गयी, जबकि बैंक जमाराशियों के रूप में पारिवारिक बचतें 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गयीं । संविदागत लिखतों के रूप में (जीवन बीमा निधि और भविष्य निधि तथा पेंशन निधि) पारिवारिक बचत 2000-01 के 4.3 प्रतिशत से मामूली-सी गिरकर 2001-02 में 4.1 प्रतिशत तक रह गयी जो इन साधनों में प्रतिलाभ दर में अंशतः कमी को प्रदर्शित करती हैं ।

2.12 समग्र बचत निवेश का अंतर पिछले वर्ष के सकल देशी उत्पाद के 1.1 प्रतिशत से कम होकर 2000-01 में 0.6 प्रतिशत रह गया, ये मुख्यतः सकल घरेलू बचत में निरंतर वृद्धि के कारण हुआ । व्यापक शेष की इस स्थिति का कारण सार्वजनिक क्षेत्र में इस अंतराल में 1997-98 से कमी का होना है । दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में 1998-99 से अधिशेष की स्थिति सुधरी है (चार्ट II.6)।

चार्ट II.6 : निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का-बचत निवेश अंतर

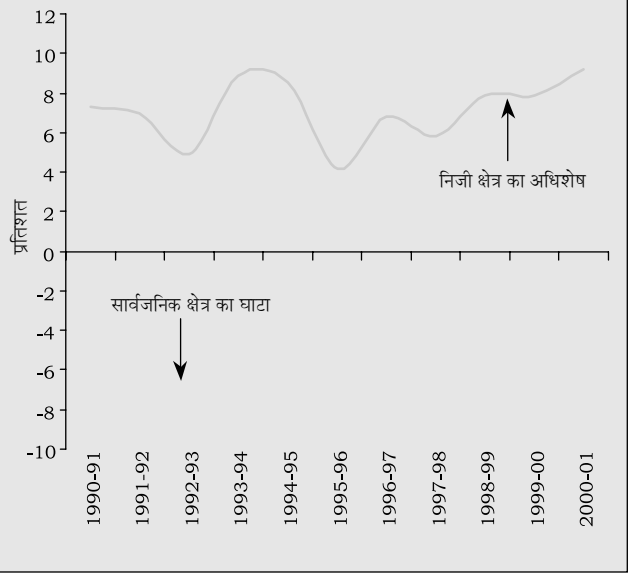

सकल आपूर्ति

2.13 2001-02 के दौरान कृषि उत्पादन में तीव्र उछाल से सकल आपूर्ति की स्थिति को सकारात्मक बल मिला । इससे वर्तमान वर्ष

में ज्यादा व्यापक आधार पर प्रतिलाभ की संभावना है । कृषि, उद्योग और सेवाओं की चक्रीय संरचना का अंतर क्षेत्रीय विश्लेषण कृषि के उत्पादन में 2001-02 में सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है (चार्ट II.7) । क्योंकि इससे ग्रामीण मांग विशेषतः उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि से उद्योग के लिए सकारात्मक परिणाम होने की आशा हैं । 2001-02 में सेवा क्षेत्र में उच्च वृद्धि होने से भी उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है ।

2.14 वैश्विक आर्थिक स्थितियां सुधार के प्रारंभिक संकेत दे रही हैं । घरेलू अर्थव्यवस्था में, कुछ बुनियादी सुविधा क्षेत्रों जैसे बंदरगाह, दूरसंचार, सड़के और निर्माण में ऋण प्रवाह में तेजी आ रही है । 2001-02 के दौरान सीमेंट क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार दर्ज किया गया, जिससे कि निर्माण और आवास क्षेत्र में बढती हुई गतिविधियों का पता चलता है । दि इकॉनामिक टाइम्स - नेशनल काउंसिल फार एप्लॉइड इकॉनामिक रिसर्च (ईटी-एनसीएईआर) बिजनेस कान्फीडेंस इंडेक्स जून 2002 की अवधि में 9.3 प्रतिशत सुधरकर 102.3 बिंदु रह गया जबकि अप्रैल 2002 की अवधि में वह 93.6 बिंदु था ।

कृषि

2.15 2001-02 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 15.4 मिलियन टन बढ़कर, 211.3 मिलियन टन की नई ऊंचाई पर पहुंच गया । गैर-खाद्यान्नों जैसे तिलहन और कपास में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ (चार्ट II.8) । कृषि उत्पादन के सूचकांक (आधार :1981-82 को समाप्त तीन वर्ष = 100) में पिछले वर्ष की 6.6 प्रतिशत की गिरावट के विरुद्ध 2001-02 में 7.5 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी II.5) । तदनुरूप कृषि और संबद्ध गतिविधियों

चार्ट II.7 कृषि, उद्योग और सेवाओं से मूल्ययोजितों का चक्रीय घटक

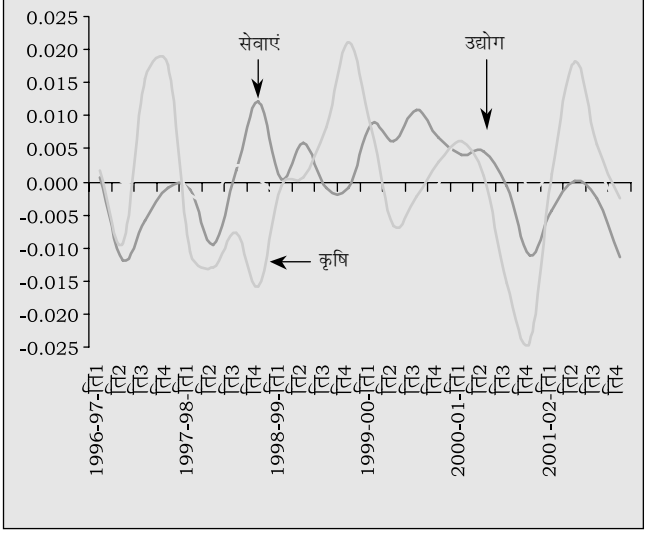

चार्ट II.8 : कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दरों के सूचकांक

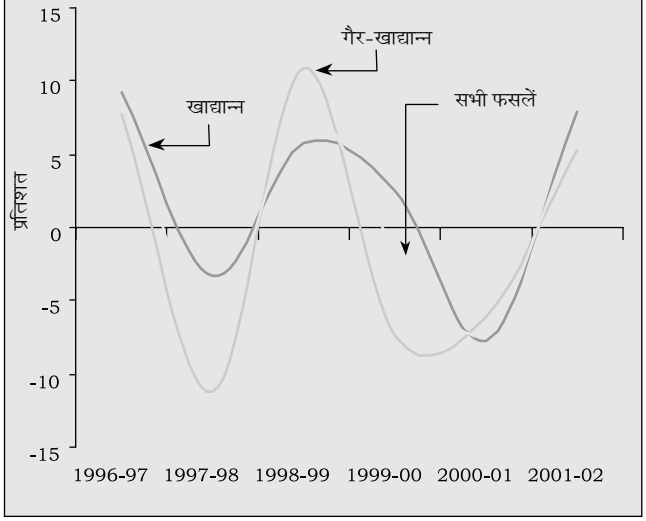

से उत्पन्न होनेवाला वास्तविक सकल देशी उत्पाद 2000-01 की 0.2 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 5.7 प्रतिशत बढ़ा ।

वर्षा की स्थिति

2.16 कृषि उत्पादन में 2001-02 में हुई वृद्धि स्थान-काल की दृष्टि से बेहतर वर्षा के कारण हुई। दक्षिण-पश्चिम मान्सून लगातार तेरहवें वर्ष सामान्य रहा तथा 2001 के मौसम में दीर्घावधि औसत (एलपीए) की 90 प्रतिशत वर्षा हुई तथा 35 मौसम विज्ञान संबंधी उप-मण्डलों में से 30 उपमण्डलों (पिछले सात वर्षों में सर्वाधिक) में अधिक/सामान्य वर्षा होने की सूचना मिली (चार्ट II.9) । 11 राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में पर्याप्त वर्षा हुई जहाँ 2000 में सूखे की स्थिति थी । बेहतर वृष्टिपात के कारण 2001 में देश के 70 प्रमुख जलाशयों में अधिकतम भण्डारण किया गया जो निम्नतर आरम्भिक भण्डारण स्तर के बावजूद पिछले वर्ष के 82.7 बिलियन घन मीटर के स्तर की तुलना में काफी अधिक 87.5 बिलियन घन मीटर थी। अच्छे मान्सून के परिणामस्वरूप खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 111.5 मिलियन टन के स्तर पर सर्वाधिक रहा। गैर-खाद्यान्न खरीफ उत्पादन में भी पर्याप्त बढ़ोतरी दर्ज की गई।

2.17 2001-02 में पूर्वोत्तर मानसून भी संतोषजनक रहा तथा 2000-01 में 35 उपमण्डलों में से केवल 4 उपमण्डलों की तुलना में 23 उपमण्डलों में अधिक/सामान्य वर्षा हुई (चार्ट II.10)।

2.18 प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारतीय कृषि वर्षा पर आधारित रही है और मानसून के विस्तार और

चार्ट II.9 : दक्षिण-पश्चिम मानसून- 1 जून से 30 सितंबर के दौरान संचयी वर्षा

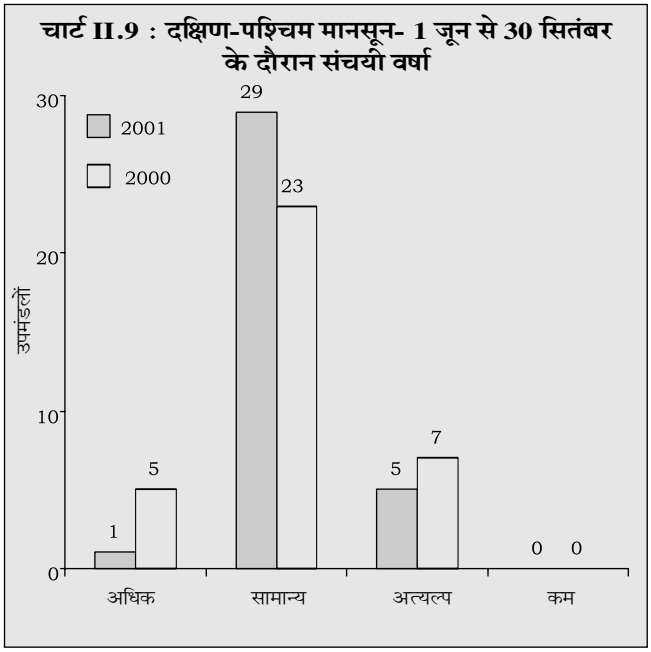

चार्ट II.10 : पूर्वोत्तर मानसून-1 अक्तूबर से 31 दिसम्बर के दौरान संचयी वर्षा

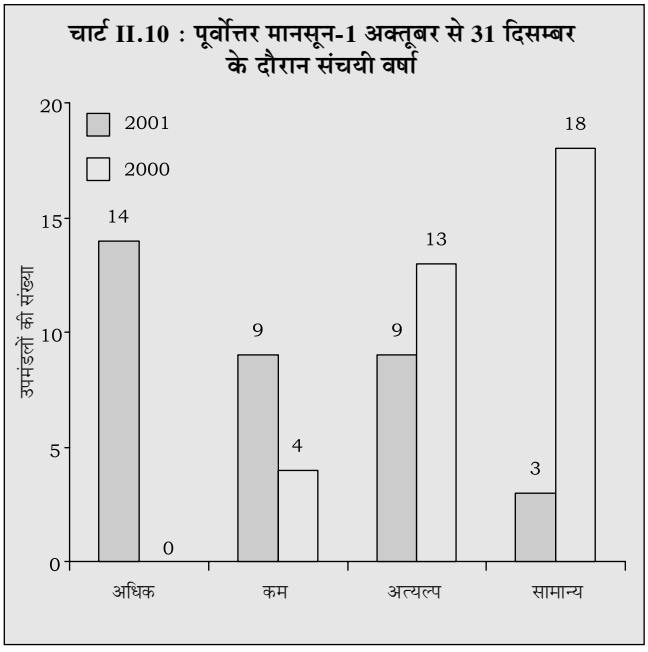

मात्रा के अनुसार कृषि उत्पादन में घट-बढ़ होना जारी रहा है। इसके परिणाम स्वरूप वर्षा की स्थानीय स्थिति के अनुसार असामान्य अस्थायी तीव्र नमी से सूखे जैसी स्थिति बनती है। इस संबंध में सूखे की स्थितियों का उचित मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण हो जाता है (बाक्स II.1) ।

उत्पादन

2.19 चावल का उत्पादन 91.6 मिलियन टन हुआ जो एक नया रिकार्ड था। 2001-02 के दौरान फरवरी 2002 के आरंभ में पूर्वोत्तर मानसून से देर की वर्षा तथा ठंडक की लम्बी अवधि ने गेहूं के उत्पादन में 71.5 मिलियन टन की वृद्धि को सहज बनाया। पिछले वर्ष के 10.7 मिलियन टन की तुलना में दालों का उत्पादन 2001-02 में बढ़कर 13.5 मिलियन टन हो गया। मोटे अनाजों का उत्पादन भी बढ़ा, हालांकि इसमें साधारण-सी वृद्धि ही हुई।

2.20 2001-02 में गैर-खाद्यान्न का सूचकांक (आधार : 1981-82 को समाप्त होनेवाले तीन वर्ष = 100) में 5.7 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि पिछले वर्ष इसमें 5.7 प्रतिशत की कमी आयी थी। गैर-खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः तिलहन, कपास और पटसन तथा मेस्टा के उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण हुई, जबकि गन्ने के उत्पादन में थोड़ी कमी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में आर्द्रता में कमी के कारण हुई (सारणी 2.8)।

बॉक्स II.1

सूखे का मूल्यांकन : विश्लेषणात्मक पहलू

सामान्यत: सूखे का अर्थ है काफी समय से वर्षा का अभाव जिससे नमी का संतुलन बिगड़ता है । इसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि उत्पादन, मवेशियों और मानव-जाति पर पड़ता है क्योंकि इससे उत्पादन को शति पहुंचती है और कृषि आय में गिरावट आती है । साथ ही, सूखे को स्थिति लंबे समय तक चलने से भूमि बंजर हो सकती है । सूखे की तीव्रता मापने के लिए कोई सर्वसम्मति नहीं है । इसे मापने के लिए विविध देशों में प्रयोग में लायी जानेवाली पद्धति में दीर्घावधि औसत (एलपीए) वर्षापात से लेकर ऐसे संश्लिष्ट सूचकांक शामिल हैं जिनमें वर्षा, भूतल जल और भूगर्भ जल की उपलब्धता, साधारण तापमान, आदि घटकों पर विचार किया जाता है । भारतीय मौसमी विभाग ने मौसमी सूखे की परिभाषा इस प्रकार की है, जिस क्षेत्र में वर्षा का दीर्घावधि के लिए औसत 25 प्रतिशत या उससे अधिक से कम रहता है; 50 प्रतिशत की कमी को गंभीर मौसमी सूखे के रूप में बताया गया है। भारतीय मौसम विभाग अपनी परिभाषा में अस्थायी वर्षापात पर विचार नहीं करता परंतु वर्षा के अभाव के प्रभाव का मूल्यांकन करने में यह तथ्य महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने दो प्रकार के सूखे की पहचान की है - कृषि और जल संबंधी। कृषि की दृष्टि से सूखे की स्थिति वह होती है जिसमें :

- खरीफ मौसम में चार क्रमिक सप्ताहों में भारी मौसमी सूखा या साप्ताहिक वर्षा 5 सेमी या उससे कम होती है, या
- शेष वर्ष में छह सप्ताहों में भारी मौसमी सूखा रहता है।

(जारी....)

(समाप्त....)

जल संबंधी सूखे का तात्पर्य है काफी समय से चल रहा मौसमी सूखा जिससे भूतल जल और भूगर्भ जल के स्तर में गिरावट आती है, जिसके कारण मवेशियों और मानव-जाति की आवश्यकताओं के लिए जल का गंभीर अभाव रहता है।

भारत में राज्य सरकारें वर्षा, जल अभाव संबंधी सूचना के आधार पर सूखे का निर्णय घोषित करती हैं और उसके परिणाम स्वरूप फसल की हानि का प्रतिशत तय करती हैं। सामान्य तौर पर यदि किसी जिले में खड़ी फसल के 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसल अपर्याप्त वर्षा, सिंचाई व्यवस्था के कारण नष्ट होने या उसे हानि पहुंचने का अनुमान लगाया जाता है तो उस जिले को सूखे से प्रभावित जिले के रूप में घोषित किया जाता है। तर्क की दृष्टि से भारत में किसी क्षेत्र को सूखे की प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित करने में दीर्घावधि औसत से विचलन का प्रतिशत महत्वपूर्ण घटक रहता है। तथापि, यह मानना आवश्यक है कि इस दृष्टिकोण में इस बात की कमी है कि मध्यम वर्षापात (दीर्घावधि औसत से यथापरिलक्षित) सामान्य वर्षा का यथार्थ परिचायक नहीं है क्योंकि वर्षा सामान्य वितरण के अनुसार नहीं होती ।

कुछ देशों में सूखे की गंभीरता की पहचान अधिक वैज्ञानिक सूखा संकेतकों द्वारा की जाती है जिसमें वर्षा, नदियों का प्रवाह, जल आपूर्ति, जलाशयों के स्तर के आधार पर आंकड़े इकट्ठा किये जाते हैं। इन संकेतकों में वर्षा के अस्थायी वितरण और कम वर्षापात से नमी, सूखे की अवधि पर पड़नेवाले प्रभाव को ध्यान में लिया जाता है। आपात्कालीन सूखे की सहायता राशि निर्धारित करते समय सूखा सूचकांक जैसे पालमर सूखा गंभीरता सूचकांक (पीडीएसआइ), फसल नमी सूचकांक (सीएमआइ), भूतल जल आपूर्ति सूचकांक (एसडब्ल्यूएसआइ) या मानकीकृत वर्षापात सूचकांक (एसपीआइ) का प्रयोग किया जाता है । अमरीका में पीडीएसआइ जो नमी-आपूर्ति और सूखे की अवधि खत्म होने की गणना करता है, में वर्षा के अस्थायी वितरण का आकलन करते समय सूखे की पहचान के लिए सामान्य रूप में प्रयुक्त वर्षा के अवसरों या उसके अभाव से अनुचित रूप से प्रभावित नहीं होता। पीडीएसआइ ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां स्थानिक स्थितियां एकसमान हैं । अभी हाल ही में एसपीआइ सूचकांक का विकास किया गया है और वह पीडीएसआइ से श्रेष्ठ माना गया है। एसपीआइ में विभिन्न जल स्रोतों की उपलब्धता पर और बहुविध समय पर वर्षापात की असमानता के कारण भूमि की नमी की स्थिति पर पड़ने वाला प्रभाव परिलक्षित होता है। एसपीआइ का प्रमुख लाभ यह है कि वास्तविक रूप में सूखा आने से पहले ही सूखे के महीने का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है और इसलिए सरकारी हस्त क्षेप की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। एसपीआइ ऐसे क्षेत्रो के लिए उपयुक्त है जहां जलवायु की स्थितियां विषम हैं और इसका प्रयोग इस समय कोलोरॅडो, अमरीका में किया जाता है जहां विषम हवामान है। यह उल्ले खनीय है कि अण्णा विश्वविद्यालय, चेन्नै के वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक सूखा गंभीरता सूचकांक विकासित किया गया है यद्यपि, देश में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने में इस सूचकांक का अभी प्रयोग नही किया गया है।

इस समय प्राकृतिक विपदाओं के प्रति अनुक्रिया (अर्थात विपदाओं से उबरना) या पूर्वानुमानी (अर्थात विपदाओं की घटना का जोखिम कम करके विपदाओं का प्रतिबंध और उपशमन) और योजनाबद्ध अनुकूलन नीति अपनायी जा सकती है। खाद्यान्न और कृषि संगठन का सुझाव है कि ऐसे कुछ कृषि - विशेष परिरक्षण और उपशामक उपाय किये जाएं जिनमें फसल और मवेशियों का विविधीकरण, सूखा, रोग और कीटकों के प्रकोप के प्रतिरोधी अल्प समय लेनेवाली नस्ल लगाना, कीटक और रेाग नियंत्रक उपाय, सुधारित श्रेणीभूमि और जल प्रबंध, बाढ़ प्रवण अंचल और नियंत्रण; भूमि टीला; भूमि परिरक्षण; आश्रय स्थान या बाड़े बनाना; सुधारित तटीय मछली पकड़ने की पद्धतियां; वनरोपण; वन प्रबंध; बालू का टीले के स्थिरीकरण; सुधारित खाद्यान्न भंडारण और परिरक्षण; आदि शामिल है । विश्व स्वास्थ्य संगठन का मत है कि हवामान में परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने के लिए ऐसी नीतियां होनी चाहिए जो अंतर क्षेत्रीय और क्षेत्रों से परे अनुकूल उपाय हों जैसे (i) मूलभूत सुविधा के स्वरूप और दीर्घावधि निवेशों को संतुलन बढ़ाना, (ii) भेद्य प्राकृतिक प्रणलियों की नमनीयता और अनुकूलता बढ़ाना, (iii) सुभेद्य प्रवृतियों को पलटना और (iv) सामाजिक जागरूकता और तत्परता में सुधार लाना । अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति अनुसंधान के वैज्ञानिको का मत है कि विशेष जानकारी की प्राप्ति, निर्माण प्रबंध और समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है । उन्होंने समस्या-विशेष योजना बनाने के लिए मानवीय और तकनीकी क्षमता बढ़ानेवाले कार्यक्रमों और पद्धतियों में निवेश करने की सिफारिश की है।

संदर्भ :

1. खाद्यान्न और कृषि संगठन (1998), "दि इमर्जन्सी सिक्वेन्स : वॉटएफएओ डज़-हाऊ एफएओ डज इट", रोम
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (2000), "क्लाइमेट चेंज एण्ड ह्यूमन हेल्थ : इम्पैक्ट एण्ड एडाप्टेशन", जिनिवा।

2.21 पूर्वी राज्यों के निष्पादन में सुधार जारी रहा तथा असम, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने मिलकर 5.5 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न राष्ट्रीय भण्डार में दिए । हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के भी उत्पादन में काफी सुधार हुआ । हरियाणा में गेहूं के उत्पादन में पहली बार 10 मिलियन टन के स्तर को पार करने का अनुमान है।

2.22 फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है तथा दालें और मोटे अनाजों की जगह बेहतर दर्जे के अनाजों की खेती की जाने लगी है। तदनुसार, खाद्यान्न के अंतर्गत कुल क्षेत्र में चावल और गेहूं का क्षेत्र निरंतर रूप से बढ़ा । दूसरी तरफ दालें तथा मोटे अनाजों के अंतर्गत क्षेत्र में 1990-91 से गिरावट आयी है (सारणी 2.9)। चावल और गेहूं की उपज में निरंतर वृद्धि है। दूसरी तरफ, मोटे अनाजों तथा दालों की उपज में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है जिसके फलस्वरूप इन फसलों के उत्पादन में घट-बढ़ हुई है।

2.23 इन कार्यकलापों की रोजगार संभावनाओं तथा प्रशुल्क संबंधी विश्व व्यापार संगठन के बाध्यकारी प्रावधानों के मदेनजर डेयरी उद्योग, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन तथा खाद्य संसाधन उद्योग

सारणी 2.8 : कृषि उत्पादन

(मिलियन टन)

फसल	2001-02	2000-01	1999-00
1	2	3	4
सभी फसलें : वार्षिक वृद्धि दर + (प्रतिशत)	7.5	-6.6	-1.4
खाद्यान्न	211.3	195.9	209.8
चावल	91.6	84.9	89.7
गेहूं	71.5	68.8	76.4
मोटे अनाज	34.7	31.6	30.3
दालें	13.5	10.7	13.4
गैर-खाद्यान्न			
तिलहन ++	20.7	18.4	20.7
जिसमें से : मूंगफली	7.1	6.2	5.3
: सोयाबीन	5.8	5.3	7.1
गन्ना	292.2	299.2	299.3
कपास @	11.7	9.7	11.5
पटसन और मेस्टा#	10.8	10.5	10.6
चाय*	823.4	823.4	805.6
काफी (कहवा)*	317.0	301.2	292.0

\+ 1981-82 वर्षत्रयी को समाप्त = 100 आधारवाले कृषि उत्पादन के सूचकांक पर आधारित ।
++ ग्यारह में से सभी नौ तिलहनों के लिए।
@ प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की मिलियन गाँठे।
\# प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की मिलियन गाँठें।
* मिलियन कि.ग्रा. और कलेण्डर वर्ष के आधार पर चाय के लिए आंकड़े ।

जैसे कृषि से संबद्ध कार्यकलापों का विकास महत्ता प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा, इन उत्पादों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व औसत से अभी भी काफी कम है। मवेशियों की सर्वाधिक जनसंख्या भारत में है तथा भारत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। देश में दुग्ध उत्पादन 1983-84 के 38.8 मिलियन टन से बढ़कर 2000-01 में 81.0 मिलियन टन हो गया (औसतन 1.9 प्रतिशत वार्षिक)। इसीप्रकार भारत अंडे का विश्व में पाँचवां बड़ा उत्पादक देश है

सारणी 2.9 : विभिन्न खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल का हिस्सा

(प्रतिशत)

	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6
1990-91	33.39	18.90	28.41	19.29	100.00
1991-92	34.99	19.09	27.42	18.50	100.00
1992-93	33.92	19.97	27.95	18.16	100.00
1993-94	34.65	20.49	26.73	18.13	100.00
1994-95	34.56	20.75	25.97	18.59	100.00
1995-96	35.40	20.67	25.52	18.41	100.00
1996-97	35.15	20.95	25.74	18.16	100.00
1997-98	35.08	21.56	24.90	18.47	100.00
1998-99	35.79	21.99	23.44	18.78	100.00
1999-00	36.69	22.33	23.83	17.16	100.00
2000-01	37.03	20.93	25.32	16.72	100.00
2001-02	35.84	20.95	24.34	18.87	100.00

तथा इसी अवधि के दौरान अंडे का उत्पादन 12.8 बिलियन से बढ़कर 32.4 बिलियन हो गया (2.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष)। भारत का माँस के उत्पादन में सातवां स्थान है। मछली का उत्पादन 1983-84 के 2.51 मिलियन टन से बढ़कर 2000-01 में 5.7 मिलियन टन हो गया (2.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष) । भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

सरकारी खरीद, उठाव और खाद्य भण्डार

2.24 2001-02 में खाद्यान्नों की कुल सरकारी खरीद चावल और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के कारण 41.3 मिलियन टन के नए सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि खाद्यान्नों के मूल्यनिर्धारण में हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए आधार तैयार किया जा रहा है (बॉक्स II.2)।

2.25 पिछले वर्ष के उठाव में कमी के विपरीत 2001-02 के दौरान चावल और गेहूँ का कुल उठाव 31.3 मिलियन टन था जो

बॉक्स II.2

मूल्य हस्तक्षेप (निर्धारण) को समाप्त करना : आपूर्ति पक्ष का प्रतिसाद

एक तरफ उत्पादकों को लाभकारी मूल्य तथा दूसरे तरफ गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में कृषि में मूल्य निर्धारण के जरिए हस्तक्षेप तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) का प्रावधान किया गया था। ऐसे हस्तक्षेप न होने से किसानों को क्षीण सौदा शक्ति और बाजार के कार्यकर्ताओं की एकाधिकार पद्धतियों के कारण मजबूरी में बिक्री करनी पड़ती थी । अनिवार्य पण्य अधिनियम (ईसीए), 1955 के अंतर्गत विभिन्न कृषि पण्यों (उपजों) की आवाजाही पर प्रतिबंध ने अप्रत्यक्ष रूप से इन उपजों के मूल्य पर नियंत्रण रखने में सहायता की है तथा किसानों को बाजार निपटान के लिए सरकारी खरीद तंत्र पर निर्भर रहने के लिए बाध्य किया है। कृषि पर इन नियंत्रणों ने चावल तथा गेहूँ जैसे कतिपय फसलों के पक्ष में फसल पद्धति को प्रभावित किया है। बहुत अधिक उत्पादन के वर्षों में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था चावल और गेहूँ के मूल्य उच्च स्तर पर बनाए रखने में सहायक रही है जिसके फलस्वरूप इन दो फसलों की खेती दालों तथा मोटे अनाजों की तुलना में अधिक लाभकारी रही है। चावल और गेहूँ के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य सदैव बाजार मूल्य तथा खेती की लागत से अधिक रहा है। तथापि तिलहन तथा दालों जैसी फसलों के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल कृषि की लागत को शामिल किया जाता है तथा यह सदैव बाजार मूल्य से कम होता है, इसलिए यह इन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन देने में असफल रहता है।

निविष्टि के संबंध में उर्वरकों का नियंत्रित मूल्य-निर्धारण, जिसमें प्रतिधारण मूल्य योजना के जरिए यूरिया विनिर्माण को बहुत अधिक आर्थिक सहायता देना सम्मिलित है, ने नाइट्रोजनी उर्वरक (यूरिया) के पक्ष में असमान (विषम) खपत में योगदान किया है, जिससे भूमि की लवणता बढ़ने का खतरा है ।

(जारी....)

(समाप्त....)

जल के मूल्य निर्धारण का युक्तिकरण करना भी आवश्यक है क्योंकि आर्थिक सहायता प्राप्त जल का अधिकतर उपयोग चावल और गेहूं जैसी फसलों के लिए किया जाता है । साथ ही, आर्थिक सहायता प्राप्त बिजली की उपलब्धता के कारण बोअरवेल जैसे पानी खिंचनेवाले साधन का प्रयोग बढ़ा है जिससे पानी-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ।

चावल और गेहूं सहित विभिन्न पण्यों को अनिवार्य पण्य अधिनियम के अभिभार क्षेत्र से निकालने के साथ ही कृषि संबंधी पण्यों में सार्वजनिक हस्तक्षेप की समाप्ति की शुरुआत हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में, राज्य विधानों की अतिव्याप्ति खरीद परिचालनों के विकेन्द्रीकरण के मार्ग में अवरोध बनते हैं ।

उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष : प्रो. सी.एच. हनुमन्त राव) की सिफारिशों के अनुरूप प्रतिधारण मूल्य के आधार पर यूरिया को दी गई उच्चतर आर्थिक सहायता के स्थान पर समूह छूट योजना लागू करने का प्रस्ताव था। केन्द्रीय बजट 2002-2003 में विभिन्न उर्वरकों के मूल्यों को युक्ति संगत बनाने के लिए तथा उर्वरकों की खपत पद्धति में विषमता को कम करने के लिए कुछ उपाय किये गए हैं ।

यह महसूस किया गया कि भारतीय कृषि वृद्धि मांग-आधारित उत्पादन और फसल के विविधीकरण से होगी। ऐसी बाजार-आधारित वृद्धि केवल तब संभव हो सकती है जब भंडारण, परिवहन और खाद्य संस्करण उद्योग का विकास जैसी पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। बागबानी के खराब होनेवाले उत्पादनों के लिए पर्याप्त भंडारण और संस्करण सुविधाएं बनाने से विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा । किसानों को लाभकारी मूल्य देने और मजबूरन बिक्रियों से बचने के लिए समन्वित कृषि विपणन नीति आवश्यक है। भावी बाजार (फ्यूचर मार्केट) के आरंभ से किसानों को मूल्य की जानकारी और मूल्य संकेत प्राप्त होगा जिसके आधार पर वे अपने फसल-उत्पादन के संबंध में निर्लय ले सकेंगे ।

2000-01 के उठाव से अधिक है । उठाव में यह वृद्धि सभी वर्गों में देखी गई यद्यपि यह अपेक्षाकृत खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत अधिक था। पिछले दो वर्षों की कमी की प्रवृत्ति के विपरीत 2001-02 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत उठाव बढ़कर 13.8 मिलियन टन हो गया। टीपीडीएस के उठाव में वृद्धि गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) उपभोक्ताओं के लिए चावल और गेहूँ के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) में लगभग 30 प्रतिशत की कमी तथा अन्त्योदय अन्न योजना स्कीम के भी कारण हुई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत उठाव में काफी सुधार (वृद्धि) देखा गया। उच्चतर उठाव तथा बड़े पैमाने पर खुले बाजार की बिक्री के बावजूद अधिक कुल खरीद के फलस्वरूप खाद्यान्नों के स्टॉक ने नई सर्वोच्चता को प्राप्त किया तथा यह मार्च 2002 के अंत में 51.0 मिलियन टन हो गया (चार्ट II.11)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चिंता का प्रमुख मुद्दा है आपूर्ति शृंखला का प्रबंध और दुर्लभता के क्षेत्रों में खाद्यान्नों के तत्काल वितरण को सुनिश्चित करना ।

चार्ट II.11 खाद्यान्नों की सरकारी खरीद, उठाव और स्टाक

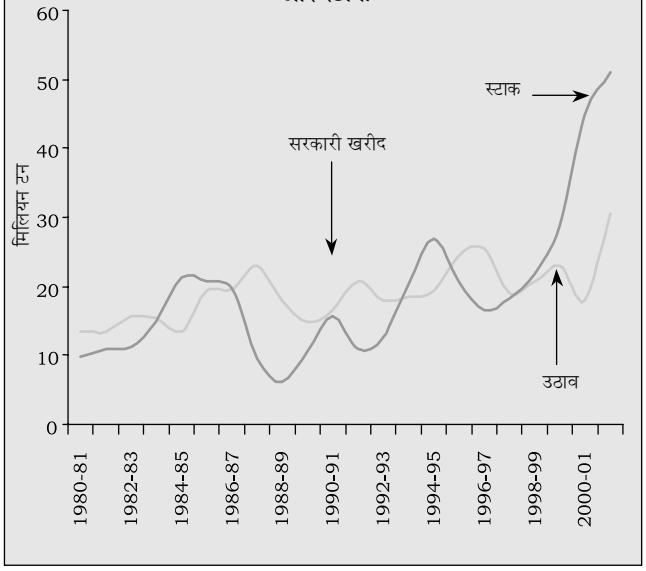

2.26 2002-03 की पहली तिमाही में 22.1 मिलियन टन चावल और गेहूँ की खरीद पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.4 प्रतिशत कम थी। जबकि गेहूँ की सरकारी खरीद 18.9 मिलियन टन के स्तर पर 2001-02 की इसी अवधि के दौरान की रह गयी 20.5 मिलियन टन की सरकारी खरीद से कम थी; चावल की खरीद 3.2 मिलियन टन के स्तर पर 2001-02 की इसी अवधि के दौरान 2.7 मिलियन टन से अधिक थी। 2002-03 के पहली तिमाही के दौरान (जून 2002 के अंत तक) चावल और गेहूँ की कुल खरीद 10.1 मिलियन टन के स्तर पर 2001-02 की संगत अवधि के दौरान 5.2 मिलियन टन से उच्चतर थी। जून 2002 के अंत में खाद्यान्नों का कुल स्टाक 63.1 मिलियन टन था जो एक वर्ष पहले के 62.0 मिलियन टन की तुलना में उच्चतर है। जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय, (एएससीआई) हैदराबाद के अध्ययन दल द्वारा प्रकाशित किया गया है, खाद्यान्नों के उच्च भंडार का अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर राजकोषीय और मौद्रिक निहितार्थ है (बॉक्स II.3)।

2.27 यद्यपि कृषि और संबद्ध कार्यकलापों का सकल देशी उत्पाद में औसत हिस्सा अस्सी के दशक के 36.4 प्रतिशत से गिरकर 1990-91 में 32.2 प्रतिशत हो गया तथा यह और गिरकर 2001-02 में 24.3 प्रतिशत हो गया, फिर भी दो-तिहाई से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि कुल उत्पादक श्रमशक्ति के लगभग 60 प्रतिशत को रोज़गार उपलब्ध कराती है। इसलिए यह ठीक ही है कि है कि कृषि संबंधी विकास को नीचले तबके पर जीवन की गुणवत्ता का सूचक माना जाता है जो विशेषकर निजी खपत माँग के सृजन में निर्णायक भूमिका निभाता है। आर्थिक विकास के सभी तीन मूल उद्देश्यों यथा उत्पादन

बॉक्स II.3

खाद्यान्नों के अत्यधिक स्टाक के राजकोषीय और मौद्रिक निहितार्थ

भारत में खाद्यान्न भंडार (स्टॉक) का बढ़ता हुआ स्तर न केवल बड़ी हुई जनसंख्या द्वारा खाद्यान्न उपभोग के कम स्तर से सामाजिक लागत (क्षति) की दृष्टि से बल्कि अधिशेष खाद्यान्न स्टॉक के अनुरक्षण की लागत जो राजकोषीय और बैंकिंग प्रणाली को भी प्रभावित करती है, के कारण भी नीति निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट कर रही है। ऐसी लागतों को कम करने के दीर्घावधि उपाय के अंतर्गत, मध्यावधि और अल्पावधि नीतियों में पाँच वर्ष की अवधि के दौरान अधिशेष (प्रचुर) खाद्यान्न भंडार में क्रमिक कमी लानी है।

भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में प्रचुर भंडार के मौद्रिक एवं ऋण निहितार्थों के विशिष्ट पहलू पर विचार किया गया है जो न केवल राजकोषीय, बल्कि मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली के लिए भी गंभीर मुद्दा है। अर्थव्यवस्था में नकदी के स्फीतिकारी प्रभाव की दशा में राजकोषीय भार अनिवार्य रूप से बढ़ती हुई खाद्यान्न आर्थिक सहायता से भी उपभोक्ताओं का एक बड़ा भाग आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है। स्टाक की विपणनीयता खरीद के समय खाद्यान्न की गुणवत्ता तथा स्टाक कितना पुराना है - पर निर्भर करता है। यदि 60 मिलियन टन के वर्तमान स्टाक में से 20 प्रतिशत 4 वर्ष से अधिक पुराना है तथा यदि इसे बट्टे खाते में डालना हो, तो बैंकिंग व्यवस्था पर ऋण जोखिम काफी अधिक होगा। चूँकि खाद्यान्न भंडार का संग्रहण और ऐसे परिचालनों के लिए ऋण की व्यवस्था सार्वजनिक नीति के परिणामस्वरूप थी, इसलिए इस ऋण जोखिम का भार या तो भारत सरकार पर अथवा बैंक पर अथवा दोनों पर पड़ेगा। इस तथ्य के मद्देनजर कि वर्तमान व्यवस्था जिसके अंतर्गत खाद्यान्न ऋण बैंकों द्वारा भारत सरकार की अंतर्निहित पहल पर दिया गया था, इसकी अंतिम बाध्यता को गारंटीयुक्त माना जा सकता है ।

अध्ययन में विकल्पों की सूची दी गई है जिसपर पिछले भंडार को कम करने के लिए विचार किया जा सकता है। इस अध्ययन में बहुविध दृष्टिकोण के निर्धारण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है जिसमें कई उपाय एक साथ उठाने होंगे । ये इस प्रकार हैं : फसल कटाई के समय किसानों को बड़ी मूल्यगत हानि से बचाते हुए स्टाक (भंडार) को व्यवस्थित तरीके से बेचना; उपयुक्त तरीके से बाजार मूल्यों के संबंध में एमएसपी को समायोजित करना, प्रमुख अधिशेष खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों में विविधीकरण की एक दीर्घावधि नीति लागू करना । राजकोषीय अतिरिक्त लागत से बचने के लिए सॉफ्ट लैण्डिंग (आरामदायक स्थिति) हासिल करने के लिए लक्ष्य बनाना, संपूर्ण नीतिगत नुस्खे को जिसमें लगभग एक साथ भंडार और प्रवाह दोनों पहलुओं पर ध्यान देना अपेक्षित होगा यदि ऐसा 'सॉफ्ट लैण्डिंग' हासिल करना है।

संदर्भ

1. भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय (जनवरी 2002) - खाद्यान्नों के प्रचुर भंडार के राजकोषीय और मौद्रिक निहितार्थ पर अध्ययन ।

रोजगार वृद्धि, मूल्य स्थिरता और गरीबी निर्मूलन को कृषि क्षेत्र के विकास द्वारा बेहतर ढंग से पूरा किया जाता है (बॉक्स II. 4)।

उद्योग

2.28 औद्योगिक गतिविधि में मन्दी 2001-02 के दौरान अधिक गहरा गयी जिसका सभी उद्योग समूहों पर प्रभाव पड़ा और इसके लक्षण विनिर्माण मूल्यों की अवस्फीति, कम निवेशगत गतिविधि, अत्यधिक क्षमता की निरंतरता, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र में स्पष्ट गिरावट और मूलभूत सुविधा उद्योगों के उदासीन कार्य-निष्पादन में स्पष्ट रूप से दिखायी दिये । अनिश्चितता जो देशी और विश्व के परिवेश की विशेषता रही, के कारण कारोबारी वृत्ति पर निरूत्साह की भावना हावी रही। अमरीका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले और गुजरात जैसे औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राज्य में हुई हाल की गडबड़ियों जैसी विशिष्ट घटनाओं के कारण तो अत्यधिक अस्थिरता आयी। औद्योगिक पुनरुज्जीवन के लिए मूलभूत सुविधा - बिजली, संचार, परिवहन और श्रम कानून जैसे गत्यावरोध अनिवार्य बाध्यता बने रहे।

बॉक्स II.4

कृषि, रोज़गार और गरीबी

एनएसएसओ के प्रतिदर्श सर्वे के 55 वें चक्र (जुलाई 1999 से जून 2000) में एकत्र की गई सूचना से संकेत मिलता है कि देश के लिए 30 दिवसीय रिकॉल आधार पर गरीबी अनुपात 1993-94 के 36.0 प्रतिशत की तुलना में 1999-2000 में 26.1 प्रतिशत आकलित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान यह ग्रामीण क्षेत्रों में 37.3 प्रतिशत से कम होकर 27.1 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 32.4 प्रतिशत से कम होकर 23.6 प्रतिशत रह गई। एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि दो दशकों से लगभग 320 मिलियन पर स्पष्टतः स्थिर रही गरीबों की संख्या 1999-2000 में काफी कम होकर 260 मिलियन रह गई। इस अवधि के दौरान राज्यवार गरीबी का अनुपात भी कम हो गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान केरल, जम्मू और कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह में गरीबी में काफी कमी देखी गई। तथापि ग्रामीण -शहरी तथा अंतर राज्य असमानताएं अभी भी है। उड़ीसा, बिहार तथा पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण गरीबी का अनुपात अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है।

प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्रों में वृद्धि का गरीबी उन्मूलन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ता है । तदनुसार, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी कार्यनीति कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों कृषि उद्योगों के आसपास केन्द्रित ग्रामीण औद्योगीकरण पर आधारित होना चाहिए । रोजगारोन्मुखी नीति के प्रमुख तत्व है : सिंचाई में निवेश बढ़ाना तथा विपणन की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, गैर-खाद्यान्न और संबद्ध कार्यकलापों में विविधीकरण, सूखा - प्रतिरोधी बीजों का विकास, स्वरोजगार के लिए अवसरों का विकास तथा इसके

(जारी....)

(समाप्त....)

लिए नीति अपेक्षित विविध प्रकार के कृषि क्षेत्रों के अनुकूल होनी चाहिए तथा उनसे प्राकृतिक संसाधनों का काफी प्रयोग होना चाहिए । इसके लिए नीति अपेक्षित क्षम साधन प्रौद्योगिकी विविध प्रकार के कृषि क्षेत्रों के अनुकूल होनी चाहिए तथा उनसे प्राकृतिक संसाधनों का काफी उपयोग होना चाहिए ।

भारत में देश की वर्तमान रोज़गार / परिदृश्य की जाँच करने तथा रोज़गार सृजन के लिए नीतियों का सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा रोज़गार अवसरों संबंधी एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री एम एस. अहलुवालिया) का गठन किया गया । अपनी रिपोर्ट में कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ पाँच प्रमुख क्षेत्रों में कार्य के संबंध में सिफारिश की है : (i) सकल देशी उत्पाद की वृद्धि की दर को बढ़ाना, इसमें विशेषकर कम आय वाले श्रम शक्ति के वर्ग में आय के प्रवाह को सुनिश्चित करने वाले संभावित क्षेत्रों पर विशेष जोर देना; (ii) वैयक्तिक क्षेत्रों में उपयुक्त क्षेत्रीय नीतियों का अनुसरण जो रोजगार सृजन के लिए विशेषकर महत्त्वपूर्ण है; ये क्षेत्रीय स्तर की नीतियां मोटे तौर पर सकल देशी उत्पाद वृद्धि त्वरित करने के समग्र लक्ष्य के अनुरूप होने चाहिए, iii) आम तौर पर वृद्धि को बढ़ावा देनेवाली नीतियों से पर्याप्त रूपेण लाभान्वित न होनेवाले भेद्य समूह को सहायता पहुँचाने के प्रयोजन से अतिरिक्त रोज़गार सृजन के लिए अधिक जोर देने वाले विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना तथा वर्तमान कार्यकलापों से आय सृजन का संवर्धन, iv) शिक्षण और दक्षता विकास के लिए उपयुक्त नीतियों का अनुसरण जो श्रम शक्ति की गुणवत्त को उन्नत बनाएगा तथा उच्च गुणवत्ता के रोजगार को सृज़न करनेवाली वृद्धि प्रक्रिया का समर्थन करने में इसे सक्षम बनाएगा; तथा (v) यह सुनिश्चित करना कि श्रम बाजार को निर्धारित करनेवाले नीतिगत और कानूनी परिवेश विशेषकर संगठित क्षेत्र में श्रम के नियोजन को बढ़ावा देता हो।

हाल ही में, दसवीं योजनावधि के दौरान 10 मिलियन नौकरियों का लक्ष्य निर्धारित करने के प्रयोजन से योजना आयोग द्वारा गठित एक विशेष समूह (अध्यक्ष डा. एस.पी. गुप्ता) ने आकलन किया कि 1999-2000 में बेरोजगारी की दर कुल श्रम शक्ति का 7.3 प्रतिशत थी। इस संदर्भ में समूह ने सिफारिश किया कि देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए असंगठित क्षेत्र (जो 92.0 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है) की वृद्धि त्वरित के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए । समूह ने यह भी टिप्पणी की कि अपविनियमित तथा समुचित रूप से पुनर्संरचित कृषि क्षेत्र में रोज़गार की काफी संभावना होगी। समूह ने सुझाव दिया कि लघु स्तर के औद्योगिक क्षेत्र में आरक्षण समाप्ति एक बार के बजाय हर मामले की गुणवत्ता के आधार पर की जानी चाहिए। समूह ने ठेका श्रम अधिनियम में समुचित सामाजिक सुरक्षा तंत्र से युक्त संशोधन का सुझाव दिया।

संदर्भ

1. भारत सरकार, (2001) : रोज़गार अवसरों पर कार्यदल की रिपोर्ट (अध्यक्ष श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया), योजना आयोग, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार, (2002) : दसवीं योजनावधि के दौरान प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार अवसरों के लक्ष्य निर्धारण संबंधी विशेष समूह (अध्यक्ष : डा. एस.पी. गुप्त), योजना आयोग, नई दिल्ली।
6. तेंडुलकर, एस. डी. और एल.आर.जैन (1996) ग्रोथ, डिस्ट्रिब्यूशनल चेंज एण्ड पोवर्टी रिड्क्शन इन इंडिया - ए. डिकम्पोजिबल एक्सरसाइज फॉर सेवन्टीन स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, खंड 51 सं. 1 और 2

2.29 औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 2001-02 में केवल 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2000-01 में 6.2 प्रतिशत और 1999-2000 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। विनिर्माण क्षेत्र में वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर में 2001-02 में गिरावट होकर वह 2.8 प्रतिशत रही, जबकि 2000-01 में यह 6.7 प्रतिशत और 1999-2000 में 4.2 प्रतिशत थी । औद्योगिक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि में आयी कमी में 2001-2002 में सभी घटक समूहों ने योगदान दिया (चार्ट II.12)।

2.30 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ने मार्च 2002 को छोड़कर 2001-02 के हर महीने में कम वृद्धि दर्शायी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 2001-02 में केवल 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2000-01 में 4.9 प्रतिशत और 1999-2000 में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह मन्दी सभी उप-क्षेत्र घटकों में स्पष्ट रूप से दिखायी दी (चार्ट II.13) ।

चार्ट II.12 : औद्योगिक सकल देशी उत्पाद वृद्धि में क्षेत्रीय अंशदान

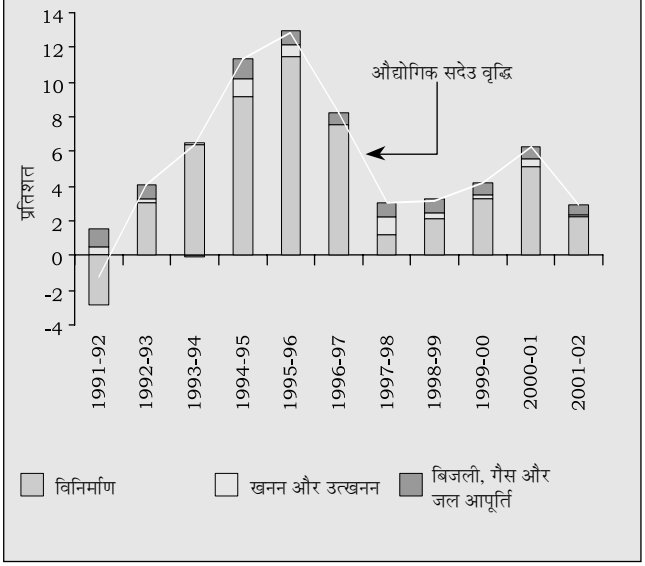

विनिर्माण क्षेत्र

2.31 औद्योगिक गतिविधि में आयी मन्दी के लिए विनिर्माण क्षेत्र के सुधार में आया ठहराव प्रमुख रूप से प्रभावी रहा। नब्बे के दशक के अंतिम पांच वर्षों में विनिर्माण उत्पादन के विस्तार में 1994-96 में प्राप्त उच्च वृद्धि की स्थिति से गिरावट आयी। यद्यपि, मन्दी का स्तर 1998-99 में संतुलित हुआ और 1999-2000 की अवधि के दौरान उसमें थोड़ा-सा सुधार हुआ फिरभी बाद के वर्ष में यह प्रवृत्ति जारी नहीं रहीं । वर्ष 2001-02 में विनिर्माण में आयी मन्दी व्यापक रूप में फैली और उसका प्रभाव घटक उद्योगों की व्यापक संरचना पर पड़ा।

चार्ट II.13 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि :क्षेत्रवार

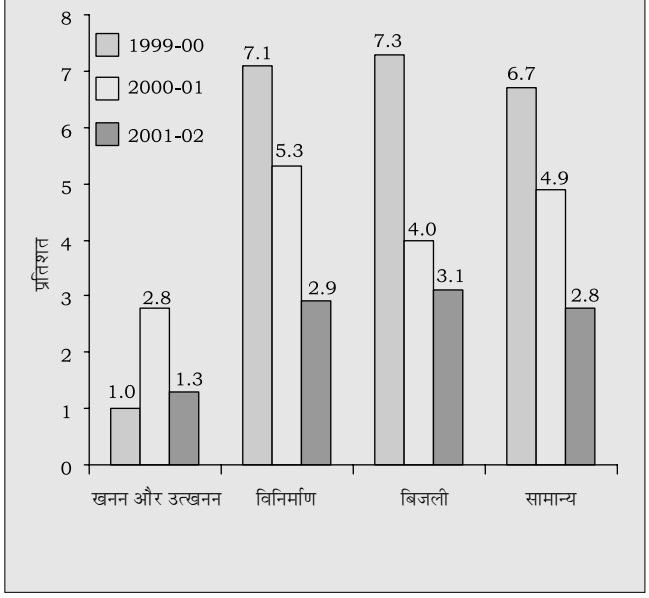

चार्ट II.14 : वर्ष 2001-02 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह प्रमुख उद्योग समूहों का वृद्धि सूचकांक

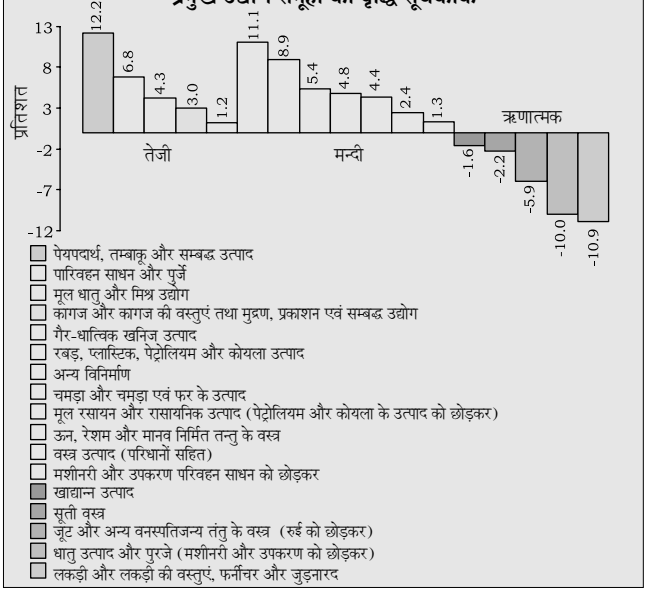

2.32 वर्ष 2001-02 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र का सापेक्ष अंशदान (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 79.36 प्रतिशत के भार के साथ) घटकर 83.5 प्रतिशत हो गया, जबकि 2000-01 में वह 87.3 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी II.7)। भिन्न-भिन्न स्तर पर 17 दो दशमलव अंक के उद्योग समूहों में से 12 ने 2001-02 में धनात्मक वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2000-01 में औद्योगिक कार्यनिष्पादन में स्थूल रूप से तुलनीय समूह-वार वितरण की तुलना में 12 उद्योग समूहों में से 5 समूहों (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 20.86 प्रतिशत भार) में तेजी हुई जबकि शेष सात समूहों (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 37.80 प्रतिशत भार) में मन्दी आयी। अन्य पांच समूहों (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 20.7 प्रतिशत भार) ने गिरावट महसूस की, जबकि पिछले वर्ष ऐसे तीन समूहों में गिरावट आयी थी । पेयपदार्थ, तम्बाकू और सम्बद्ध उत्पादट तथा 'रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद' जैसे उद्योग समूहों ने मन्दी बरदाश्त करते हुए 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्ज की। दूसरी ओर ञ्खाद्यान्न उत्पादट, 'सूती वस्त्र', 'जूट और अन्य वनस्पतिजन्य तंतु वस्त्र (रूई को छोड़कर)', 'धातु उत्पाद और पुरजा (मशीनरी और उपकरण को छोड़कर)' तथा ञ्लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं, फर्नीचर और जुड़नार ने गिरावट दर्ज की (चार्ट II.14 और परिशिष्ट सारणी II.8)। विनिर्माण क्षेत्र के चार उद्योग समूहों ने 1997-98 से 2001-02 तक के पाँच वर्षों में से चार वर्षों में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्ज की (परिशिष्ट सारणी II.9)।

2.33 वर्ष 2002-03 के दौरान (जून 2002 तक) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में यह दर 2.2 प्रतिशत थी। विनिर्माण क्षेत्र ने 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष की

चार्ट II.15 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि-उपयोग आधारित वर्गीकरण

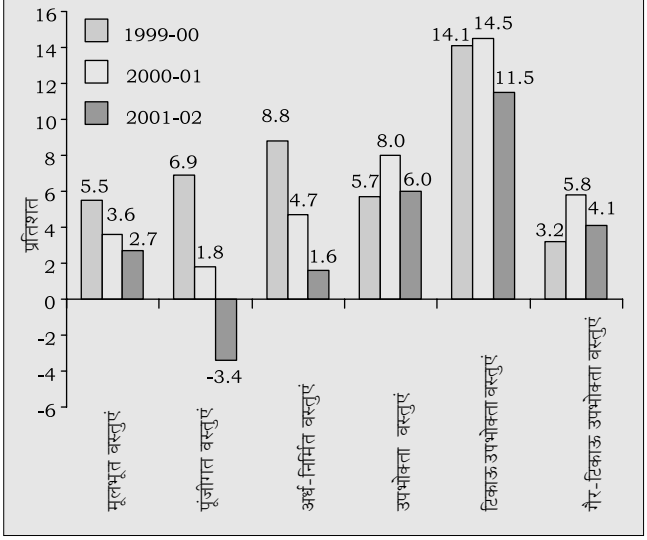

तदनुरूपी अवधि में यह दर 2.6 प्रतिशत थी। बिजली और खनन उद्योग ने भी उच्च वृद्धि दर दर्ज की।

उपयोग आधारित वर्गीकरण

2.34 पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में 2001-02 के दौरान और कमी आयी, जबकि 2000-01 के दौरान इसमें 1.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई थी और यह स्थिति कमजोर होते हुए 2001-02 के दौरान इसमें 3.4 प्रतिशत की स्पष्ट गिरावट आयी। अन्य सभी क्षेत्र, अर्थात मूलभूत वस्तु, अर्ध-निर्मित वस्तु और उपभोक्ता वस्तुओं ने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की (चार्ट

चार्ट II.16 : पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में मासिक वृद्धि

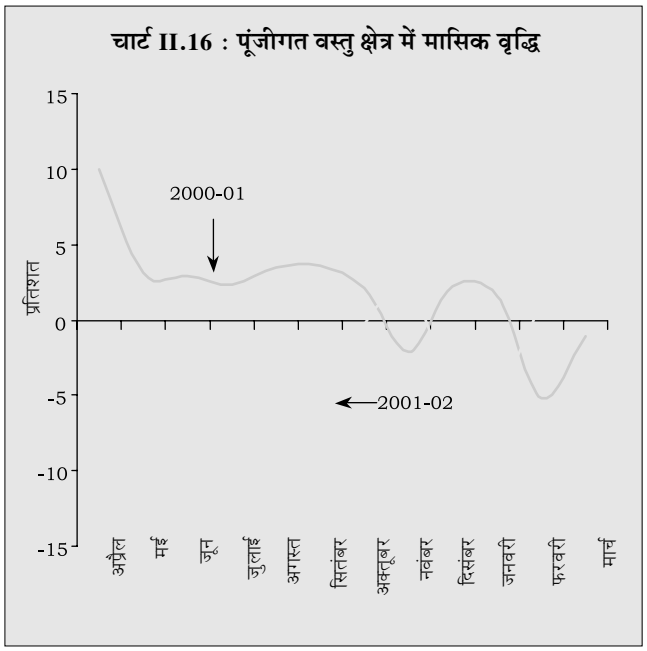

II.15 और परिशिष्ट सारणी II.10)। मासिक वृद्धि दरों के अनुसार पूंजीगत वस्तु क्षेत्र ने 2001-02 में नवम्बर 2001, फरवरी 2002 और मार्च 2002 को छोड़कर सभी महीनों में स्पष्ट गिरावट दर्शायी (चार्ट II.16)।

2.35 नब्बे के दशक से अधिकाधिक प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में देशी उत्पादन की प्रवृत्तियों ने सामान्य तौर पर पूंजीगत वस्तुओं की आयातों के संबंध में विरोधी वृत्ति दर्शायी है जो बढ़े हुए अनुकल्पों में परिलक्षित होती है (चार्ट II.17)।

चार्ट II.17 : पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात में वृद्धि की प्रवृत्तियां

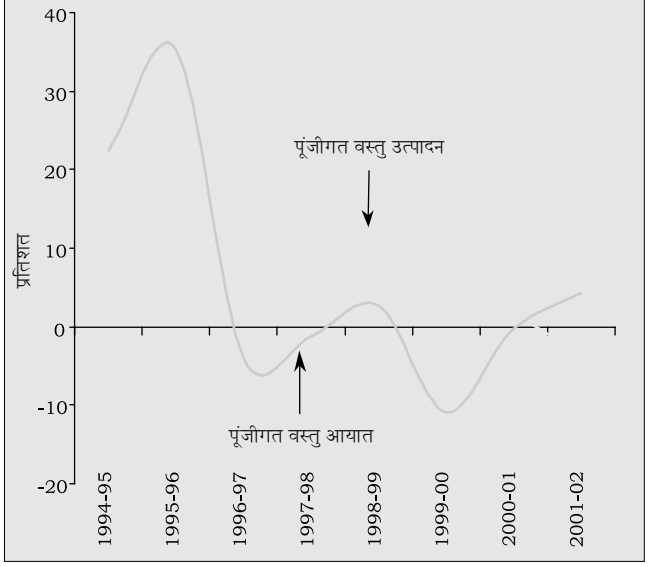

2.36 बुनियादी तथा उपभोक्ता वस्तु क्षेत्रों ने अप्रैल-जून 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में क्रमश: 1.4 प्रतिशत तथा 4.8 प्रतिशत के मुकाबले 5.1 प्रतिशत तथा 6.5 प्रतिशत की, तीव्र वृद्धि दर्ज की है । पूंजीगत वस्तु क्षेत्र ने भी अप्रैल-जून 2001-02 के दौरान अप्रैल-जून 2001-02 में हुई 6.0 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है । तथापि मध्यवर्ती वस्तु क्षेत्र ने अप्रैल-जून 2001-02 के दौरान 3.3 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-जून 2002-03 के दौरान 1.1 प्रतिशत की कम वृद्धि रिकार्ड की है ।

चार्ट II.18 : सकल अचल पूंजी निर्माण का क्षेत्र-वार वितरण (स्थिर कीमतों पर)

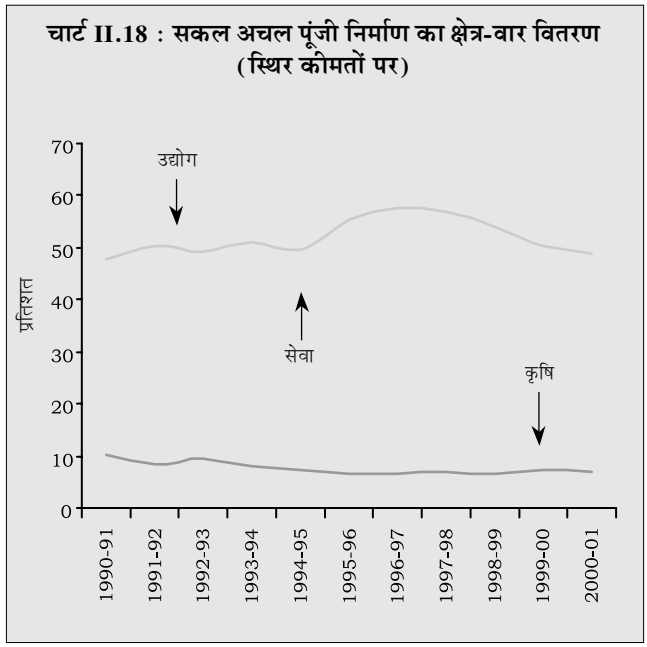

2.37 हाल के वर्षों में सकल अचल पूंजी निर्माण में औद्योगिक क्षेत्र के अंश में गिरावट आयी है (चार्ट II.18) जो हाल की औद्योगिक मन्दी में योगदान करनेवाले प्रमुख घटकों में से एक है।

मूलभूत सुविधा उद्योग

2.38 मूलभूत सुविधा उद्योगों के कार्य निष्पादन में 2001-02 के दौरान गिरावट आयी। छह महत्त्वपूर्ण मूलभूत सुविधा उद्योगों के संमिश्र सूचकांक में 2000-01 के 5.1 प्रतिशत में तुलना में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इसका भार 26.68 प्रतिशत रहा (परिशिष्ट सारणी II.11)। तथापि, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि दर दिसंबर 2001 से उच्चतर रही है (चार्ट II.19)।

2.39 सीमेंट उद्योग में पिछले वर्ष 0.9 प्रतिशत की गिरावट आने के बाद 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कोयला ने भी 2000-01 के 3.5 प्रतिशत की तुलना में 2001-02 के दौरान 4.2 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की। दूसरी ओर, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, बिजली और इस्पात क्षेत्रों ने कम वृद्धि दर्ज की, जबकि कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में गिरावट आयी (चार्ट II.20)।

चार्ट II.19 : मूलभूत सुविधा उद्योग सूचकांक में वृद्धि

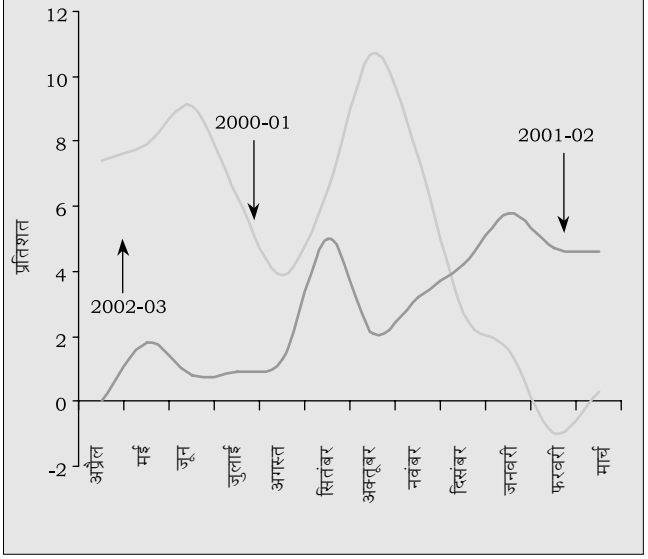

चार्ट II.20 : मुलभूत सुविधा उद्योग सूचकांक में वृद्धि : क्षेत्रवार

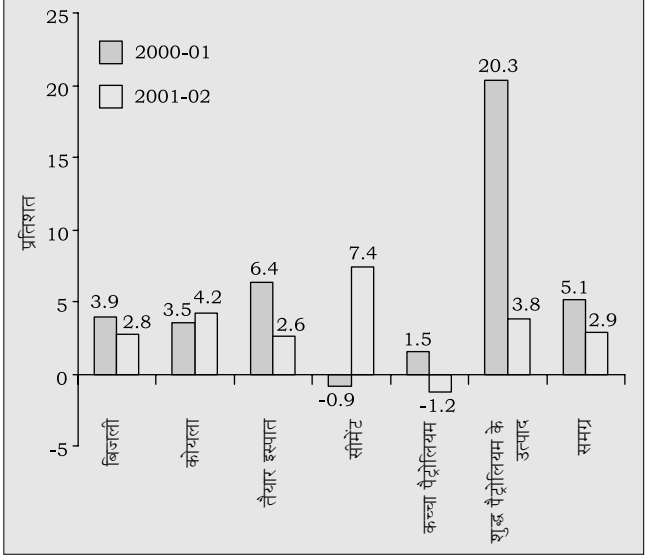

2.40 मूलभूत सुविधा उद्योगों के संमिश्र सूचकांक में शामिल 10 मूलभूत सुविधा उद्योगों में से केवल सीमेंट और रेलवे ने 2001-02 के दौरान अपने लक्ष्य पार किये (सारणी 2.10)।

2.41 मूलभूत सुविधा उद्योगों के संमिश्र सूचकांक ने अप्रैल-जून 2002-03 के दौरान 5.7 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो सभी मूलभूत सुविधा उद्योगों के कार्यनिष्पादन की वृद्धि में सुधार होने का लक्षण है।

2.42 भारत में नब्बे के दशक के आरंभ से ही मूलभूत सुविधा पर नीति में अधिकतम ध्यान दिया जा रहा है (बाक्स II.5)। इन वर्षों में कुछ क्षेत्रों में काफी सफलता प्राप्त की गयी है, फिर भी, सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय (चालू बाजार मूल्य पर सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में) ने 1990-91 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान कुछ महत्त्वपूर्ण मूलभूत सुविधा क्षेत्रों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है। उदाहरण के लिए, ऊर्जा के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय 1990-91 के सकल देशी उत्पाद के 3 प्रतिशत से निरंतर गिरकर 1999-2000 में 2.2 प्रतिशत रह गया, जबकि सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में परिवहन के लिए परिव्यय 1990-91 से 1999-2000 के दौरान 1.2 और 1.4 प्रतिशत के बीच रहा तथा अन्य आर्थिक मूलभूत सुविधा के लिए परिव्यय करीब-करीब स्थिर रहा । मूर्त (आर्थिक)

सारणी 2.10 : मूलभूत सुविधा उद्योगों के लक्ष्य और उपलब्धियां

	क्षेत्र	इकाई	2001-02			2000-01		
			लक्ष्य	उपलब्धि	अंतर (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि	अंतर (प्रतिशत)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ऊर्जा	बिलियन यूनिट	540	515	-4.5	501	500	-0.2
2.	कोयला	मिलियन टन	323	323	0	308	310	0.5
3.	तैयार इस्पात	हजार टन	13,569	13,137	-3.2	13,250	12,685	-4.3
4.	रेलवे	मिलियन टन	489	492	0.7	475	474	-0.3
5.	जहाजरानी	मिलियन टन	289	288	-0.5	284	281	-1.0
6.	दूरसंचार	हजार हाइन	7,916	6,957	-12.1	7,235	7,146	-1.2
7.	उर्वरक	हजार टन	16,589	14,628	-11.8	15,208	14,705	-3.3
8.	सीमेंट	मिलियन टन	105	107	1.8	107	98	-8.8
9.	कच्चा पेट्रोलियम	मिलियन टन	33	32	-1.5	33	32	-0.3
10.	पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	मिलियन टन	114	107	-5.4	113	103	7.6

स्रोत : सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रायल, भारत सरकार

बाक्स II.5

मूलभूत सुविधा क्षेत्र में सुधार : अपरिहार्य बाध्यता पर प्रहार

वहनीय स्तर की वृद्धि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि मूलभूत सुविधा क्षेत्र में न्यूनतम निवेश आवश्यक किया जाए। तथापि, हाल के वर्षों में विशेषतः राजमार्ग, बंदरगाह, दूरसंचार और बिजली के संबंध में आनेवाले मूलभूत सुविधागत अवरोध भारतीय अर्थव्यवस्था की संभाव्य वृद्धि प्राप्त करने में अपरिहार्य बाध्यता बन गये हैं।

बाध्यता की तीव्रता कम करने के लिए नब्बे के दशक से कई क्षेत्र-विशेष में उपाय किये गये हैं। सरकार ने सड़क क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पहले ही वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में आशोधन जिसमें टोल लगाने के लिए अनुमति शामिल है, सरकार ने अक्तूबर 1998 में एक महत्त्वपूर्ण पहल की जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) कहा जाता है जिसमें छह लेनवाले स्वर्णिय चौतरफा जुड़ाव क्षेत्र जो दिल्ली-कोलकाता-चेन्नै-मुंबई-दिल्ली को जोड़ेगा, उत्तर दक्षिण पथ जो कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ेगा और इसी तरह से पूर्व-पश्चिम पथ जो सिलचर से सौराष्ट्र को जोड़ेगा की परिकल्पना की गयी है। केन्द्रीय सड़क निधि में एक रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की उपकर जमा करके तथा दिसंबर 2000 में केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 बनाकर उसके लिए फिरसे सामग्री जुटायी है।

बंदरगाह के संबंध में भूतल परिवहन मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए 1996 में मार्गदर्शी नियम जारी किये हैं। प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम में 2000 में आशोधन किया गया ताकि संयुक्त उपक्रम का निर्माण किया जा सके। दूरसंचार क्षेत्र में की गयी प्रमुख पहल में शामिल है भारतीय दूरसंचार (टेलीकाम) विनियामक प्राधिकरण की स्थापना, उपलब्ध 'बैंडविड्थ' में विस्तार, राष्ट्रीय सुदूर सेवा में अप्रतिबंधित प्रवेश तथा मूलभूत एवं सेलुलर टेलीफोनी की शुरुआत, संसद में लाया गया दूरसंचार समरूपता विधेयक, 2001। दूरसंचार के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा प्रदान करनेवाली संस्था के क्रमिक निगमीकरण में विदेशी संचार निगम लिमिटेड का विनिवेश और टाटा समूह को प्रबंधन का अंतरण, अंतर्राष्ट्रीय सुदूर सेवा में विदेशी संचार निगम लिमिटेड का एकाधिकार समाप्त करना, इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति ।

बिजली क्षेत्र में हाल की अवधि में कई सुधार किये गये है। संस्थागत सुधार और पारदर्शी कार्यप्रणाली के अनुसार अब तक 18 राज्यों में स्थापित केन्द्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण और राज्य विद्युत विनियामक आयोग से अपेक्षित है कि वे टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता के हित की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। राज्य विद्युत बोर्ड छः राज्यों में स्वतंत्र/ कम्पनी रूप में पंजीकृत हुए हैं। इसके अलावा, संसद में व्यापक विद्युत विधेयक, 2001 पेश किया गया है।

मूलभूत सुविधा के चयनित क्षेत्रों में सुधार के कुछ लक्षण सुस्पष्ट हैं। मोटर वाहनों के सीएनजी मानदंड अद्यतन किये गये। कुल 5861 कि.मी. की स्वर्णिम चौतरफा परियोजना के अंतर्गत 1,063 कि.मी. का कार्य पहले ही पूरा हो गया है।बंदरगाह की क्षमता के प्रमुख संकेतकों में वृद्धि की प्रवृत्ति का आरंभ हुआ है। जहाज बंदरगाह पर लगाने का औसत समय जो 1999-2000 में 0.9 दिन था घटकर 2000-01 में 0.5 दिन रह गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान जहाज के बंदरगाह से निकलने का औसत समय 5.1 दिन से घटकर 4.3 दिन रह गया है। एन्नोर बंदरगाह का प्रबंध करने के लिए एन्नोर बंदरगाह कंपनी लि. का पंजीकरण करके क्रमिक निगमीकरण की शुरुआत पहले ही की गयी है।

दूरसंचार के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में दोगुने से भी अधिक स्थायी टेलीफोन लाइनें दी गयी हैं और इसके अतिरिक्त इस अवधि में सेलुलर सेवा का तेजी से विस्तार हुआ है जिसके तकरीबन 5.5 मिलियन अभिदाता हैं। सुदूर एसटीडी आइएसडी की टैरिफ दर में नाटकीय कटौती हुई है। मांग-आपूर्ति अंतराल, जो 1991-92 में 27.9 प्रतिशत था में गिरावट आकर 2000-01 में वह 12.2 प्रतिशत हो गया हैं।

बिजली के संबंध में मांग-आपूर्ति अंतराल, जो 1996-97 में 11.5 प्रतिशत के चरम स्तर पर पहुंच गया था, में 2001-02 के दौरान गिरावट आकर वह 7.5 प्रतिशत हो गया । इस संबंध में अधिक सुधार की स्थिति अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा 2001 में गठित विशेषज्ञ समूह (अध्यक्षः डा. एम. एस. अहलुवालिया) द्वारा की गयी सिफारिशों के उनुसार राज्य विद्युत बोर्ड की बकाया देयताओं के एकबारगी निपटान और मध्यावधि पूंजी पुनर्विन्यास पर निर्भर है । इसके अलावा, मांग प्रबंधन के एक भाग के रूप में ऊर्जा परिरक्षण अधिनियम, 2001 में यथा परिकल्पित ऊर्जा का परिरक्षण करने करने की आवश्यकता है ।

संदर्भ

1. भारत सरकार (2001), रिपोर्ट ऑफ दि एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पॉवर : सेक्टर (अध्यक्षः एम.एस. अहलुवालिया), बिजली मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. (2002) वार्षिक रिपोर्ट, 2001-02 बिजली, संचार, सड़क और जहाजरानी मंत्रालय, नई दिल्ली ।
3. 31 नेटवर्क (2002), भारत मूलभूत सुविधा रिपोर्ट 2002, आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली ।

मूलभूत सुविधा जिसमें बिजली, गैस और जल आपूर्ति एवं परिवहन, भण्डारण एवं संचार शामिल है में किये गये निवेश में 1990-01 के सकल देशी उत्पाद 5.2 प्रतिशत से गिरावट आकर 2000-01 में 4.5 प्रतिशत रह गया । सकल पूंजी निर्माण के अनुपात के रूप में इन मूलभूत सुविधा क्षेत्र के निवेश भी 1990-91 के 23.6 प्रतिशत से घटकर 2000-01 में 22.8 प्रतिशत के रहे।

विलयन और अभिग्रहण

2.43 वर्ष 2001-02 के दौरान 1,050 अभिग्रहण हुए जिसमें निहित राशि 35,360 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष हुए 1,183 अभिग्रहणों में 33,649 करोड़ रुपये की राशि निहित थी। वर्ष 2001-02 में 98 खुले प्रस्तावों में 4,788 करोड़ रुपये की राशि निहित थी जबकि, पिछले वर्ष के 76 खुले प्रस्तावों में 2,626 करोड़ रुपये की राशि निहित थी। विलयनों की संख्या पिछले वर्ष की तरह ही 294 पर अपरिवर्तित रही। कुछ प्रमुख सौदों में से दूर संचार और सीमेंट क्षेत्रों में किये गये सौदों में बीपीएल कम्यूनिकेशन्स और बिड़ला-एटी एण्ड टी-टाटा का मेगा विलयन शामिल है जिससे भारत में सबसे बड़ी सेलुलर कंपनी का गठन हुआ और आदित्य बिड़ला ने लार्सन और टूब्रो की पणधारिता का अभिग्रहण किया।

2.44 विलयन और अभिग्रहण के माध्यम से औद्योगिक पुनर्संरचना को कारगर और युक्तिसंगत बनाने के लिए वर्ष के दौरान कई उपाय किये गये जिसमें पुनर्खरीद मानदंड में रियायत, मंद अभिग्रहण की सीमा में वृद्धि और अभिग्रहण सौदे में गैर-प्रतिस्पर्धी भुगतानों पर कर में छूट शामिल है।

लघु उद्योग

2.45 उत्पादन, रोजगार और निर्यात के अनुसार लघु उद्योगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभायी। वर्ष 2001-02 में लघु उद्योग इकाइयों की संख्या पिछले वर्ष के 33.1 लाख से बढ़कर 34.4 लाख होने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादन मूल्य में भी वृद्धि हुई जो चालू मूल्य पर 8.1 प्रतिशत 6,90,522 करोड़ रुपये और स्थिर मूल्य पर 6.0 प्रतिशत 4,77,870 करोड़ रुपये है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र से सकल देशी उत्पाद ने समग्र रूप में वर्ष के दौरान वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार इस अवधि के दौरान 185.6 लाख से बढ़कर 192.2 लाख हो गया। दूसरी ओर, इस क्षेत्र से किये गये निर्यात में 1999-2000 के 12.51 बिलियन अमरीकी डालर में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि होकर 2000-01 में वे 13.13 बिलियन अमरीकी डालर हुए जो देश से किये गये प्रत्यक्ष निर्यात का करीब 35 प्रतिशत है।

सेवाएं

2.46 सेवा क्षेत्र 1997-2002 के दौरान प्राप्त की गयी 7.7 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की तुलना में हाल के वर्षों में

चार्ट II.21 : सेवा वृद्धि से सकल देशी उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान

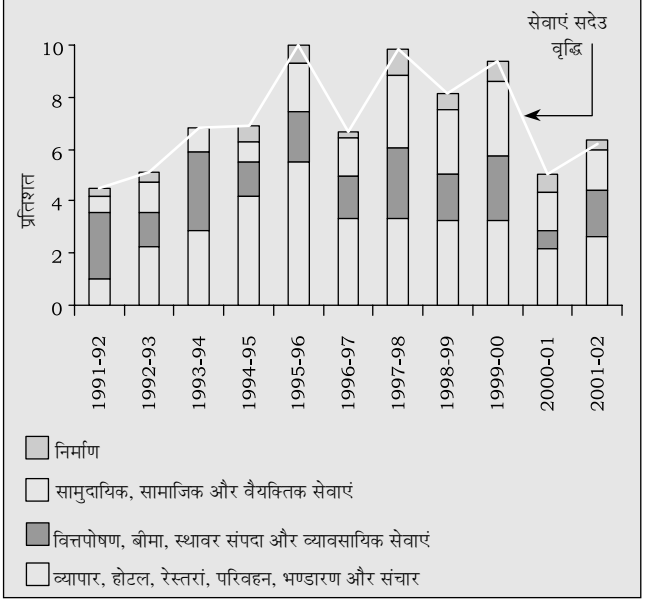

गिरावट का सामना कर रहा है। संशोधित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र से वास्तविक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि 2000-01 के 5.0 प्रतिशत की तुलना में 2001-02 में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गयी है, परंतु वह 1999-2000 के 9.4 प्रतिशत से कम है। ऐसा अनुमान था कि 2001-02 में समग्र सकल देशी उत्पाद में सेवा क्षेत्र का अंश 2000-01 के 53.7 प्रतिशत की तुलना में 54.1 प्रतिशत होगा। वर्ष 2001-02 में 'वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवा,' और 'व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भण्डारण एवं संचार' जैसे क्षेत्रों का अधिक योगदान था (चार्ट II.21)।

2.47 वार्षिक आधार पर सेवा क्षेत्र ने प्रभावशाली प्रवृत्ति दर्शायी है जिससे वृद्धि प्रक्रिया में स्थिरता का तत्त्व जुड़ गया है। तिमाही आंकड़ों में विशेषतः चौथी तिमाही में मौसमी तत्त्व का प्रभाव स्पष्ट होता है। वर्ष 2001-02 के सामने 1996-97 के तिमाही अनुमानों का उप-क्षेत्रीय विश्लेषण यह दर्शाता है कि मौसमिकता का प्रमुख स्रोत है, 'सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवा' श्रेणी जो शायद वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ऐसी सेवाओं पर सरकार द्वारा किये गये व्यय में हुई वृद्धि में परिलक्षित होती है (चार्ट II.22)।

2.48 हाल की अवधि में सेवा क्षेत्र पर 'वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाओं' का काफी प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2001-02 में सेवा क्षेत्र सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर में हुए सुधार को इस श्रेणी में हुए 7.8 प्रतिशत के विस्तार का आधार मिला है। पूर्ववर्ती वर्ष में क्षेत्रीय वृद्धि में आयी कमी का प्रमुख कारण है, 'वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाओं में आयी तीव्र गिरावट । प्राथमिक रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं इस खराब कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार है साथ ही 'बैंकिंग और

चार्ट II.22: सेवाएं सदेउ तथा उनके घटक (वास्तविक तथा बेमौसमी)

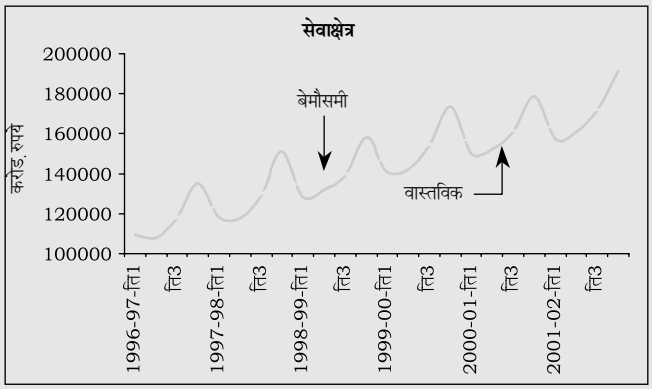

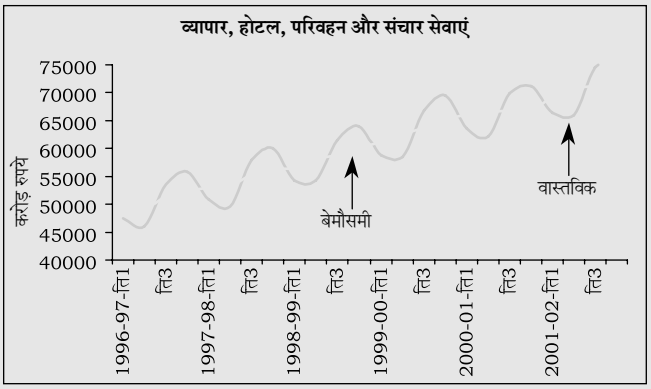

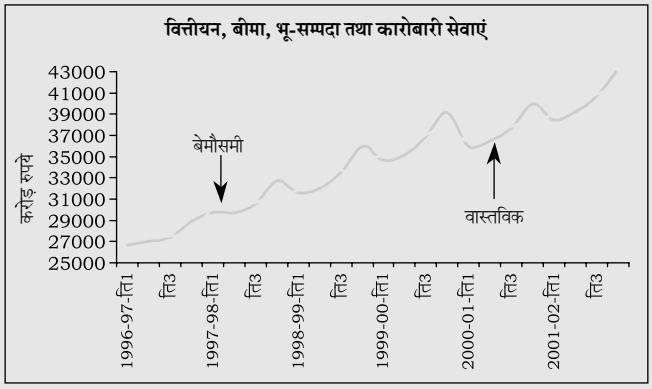

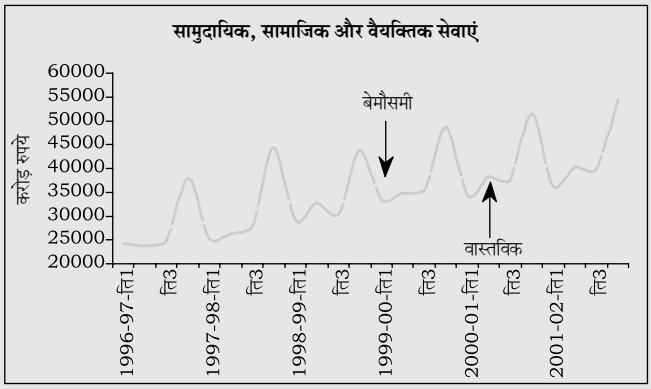

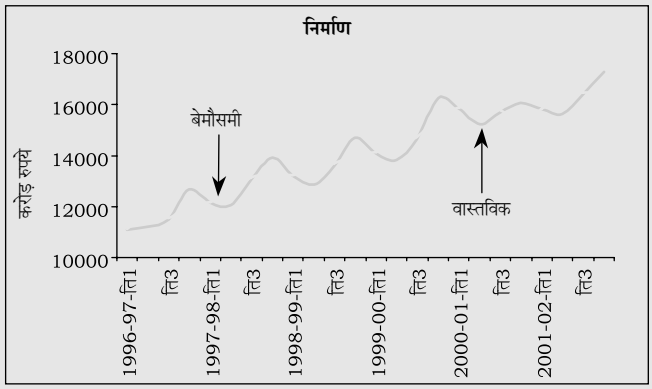

बीमा' क्षेत्र ने 2000-01 में 1999-2000 के 13.4 प्रतिशत के उच्च स्तर से 2.2 प्रतिशत की स्पष्ट गिरावट दर्ज की।

2.49 2001-02 के दौरान, सेवाओं की वृद्धि 2000-01 की तदनुरूपी तीसरी और चौथी तिमाहियों की तुलना में उच्चतर रही। 2001-02 की चौथी तिमाही के दौरान ऽनिर्माणट की वृद्धि दर उच्च स्तर पर रही । वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा तथा कारोबारी सेवाओं ने सभी तिमाहियों में इस वृद्धि को त्वरित कर दिया । व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार, इन सेवा क्षेत्रों में 2001-02 की तीसरी तथा चौथी तिमाहियों के दौरान उच्च स्तर की वृद्धि दर दर्ज की गई। 2001-02 की दूसरी तथा चौथी तिमाहियों के दौरान सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाओं के क्षेत्र में निम्नतर वृद्धि दर्ज की गई (सारणी 2.2)।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

2.50 सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) सेवाएं अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ रहे क्षेत्र के रूप में उभर चुकी हैं। नास्कोम (नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विस कंपनीज़) के अनुमानों के अनुसार, इस क्षेत्र का हिस्सा 2000-01 के सकल देशी उत्पाद के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 2001-02 में सकल देशी उत्पाद का 2.9 प्रतिशत हो गया है। 2001-02 में सूचना प्रोद्योगिकी सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं से प्राप्त निर्यात राजस्व, 36,855 करोड़ रुपये का है जो 2000-01 के 28,350 करोड़ रुपये के निर्यात राजस्व के 30.0 प्रतिशत अधिक है।

2.51 हाल के वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक रूपान्तरण की एक महत्त्वपूर्व विशेषता है, अर्थव्यवस्था की समग्र उपलब्धियों में उच्च मूल्य वर्धन करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी जैसी दक्षता प्रधान सेवाओं की वर्धमान भूमिका । इसके अलावा, यह क्षेत्र, सर्वाधिक तेजी से विस्तारित होने वाले क्षेत्र के रूप में उभर चुका है जो अन्य क्षेत्रों, विशेषकर, विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता, नियोजन तथा व्यापार को प्रभावित करेगा (बाक्स II.6)।

बाक्स II.6

विनिर्माण के प्रति सेवाओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग

औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के बीच जो क्षेत्रीय अंतर संयोजन तथा क्षेत्रीय विकास से संबंधित गति सिद्धान्त क्षेत्रीय विकास को बनाये रखने की गति और सहक्रियाओं के विस्तार को मज़बूत कर रहे हैं। बढ़ते भौगोलिक एकीकरण तथा प्रतियोगी दबावों ने प्रौद्योगिकी प्रधान तथा सूचना आधारित सेवाओं की मांग को अधिक विस्तारित कर दिया। उत्पादन प्रक्रिया में सुधरे (उन्नत) प्रबंध तकनीकों के प्रयोग से उत्पादों के उत्पादन और विपणन को त्वरित करते हुए तथा बड़े पैमाने पर व्यय कम करते हुए, औद्योगिक क्षेत्र में, उत्पादकता का वर्धित स्तर प्राप्त करने में सहयोग दिया है। विनिर्माण क्षेत्र में ऐसी सेवाओं की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण तथा प्रकट तब हो गई जब कई सेवाओं का बाहरीकरण (को बाहरी संस्थाओं को दिया गया) किया गया जो मालों के उत्पादन तथा वितरण के प्रमुख इनपुट (निविष्ट) है। सेवाओं के बढ़ते बाहरी करण (आउट सॉर्सिंग) (बाह्य स्रोतों से कार्य कराना) तथा उत्पादन उद्यमों की सहायक संस्थाओं जो मूल तथा अन्य उद्यमों को सेवाएं बेचती हैं, का विकास बाहरीकरण की प्रक्रिया में प्रतिबिम्बित होता है। मध्यवर्ती (अर्धनिर्मित) वस्तुओं के समान मध्यवर्ती सेवाएं भी उत्पादन प्रक्रिया में अनिवार्य हैं तथा वे अक्सर निर्यातों के लिए विनिर्माण में तुलनात्मक लाभ का स्रोत बन जाती हैं।

निविष्ट वस्तुओं की इनपुट आपूर्ति के अलावा, सेवा क्षेत्र उत्पादकता की वृद्धि की दर को बढ़ाते हुए औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन की सीमा के बाहरी अंतरण में मदद करता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को त्वरित रूप से स्वीकरण जो उत्पादक सेवाओं का महत्त्वपूर्ण अंग है, 1990 के दशक में अमेरिका की श्रमिक उत्पादकता में हुई त्वरित वृद्धि की प्रेरक शक्ति के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाएं रूपी सामाजिक बुनियादी सुविधाओं से संबंधित सेवाएं भी विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाने वाले अवश्य संघटक के रूप में मानी जाती हैं।

भारतीय संदर्भ में , व्यापार, परिवहन, तथा संचार, वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा तथा कारोबारी सेवाओं को उत्पादक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कुल सेवाओं के 70 प्रतिशत थे। उत्पादक सेवाओं का यह उच्चतर अंश अर्थव्यवस्था के सेवा तथा माल उत्पादक क्षेत्रों के बीच अंतर संयोजन को परिलक्षित करता है। उत्पादक सेवाओं से संबंति आय की सापेक्षता (लांच) का प्रायोगिक अनुमान यह व्यक्त करता है कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में निर्मित आय से सेवाओं की अधिकांश मांग उत्पन्न होती है। उत्पादक तथा सरकारी सेवाओं के लिए मांग, जिसमें मुख्यतः मध्यवर्ती खपत शामिल है, वास्तविक सकल देशी, उत्पाद पर कई गुना प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। उत्पादक सेवाओं के संबंध में, इसका प्रभाव दोनों दिशाओं में होता है ।

भारतीय उद्योगों में सेवा सघनता उच्च है । भारत में विनिर्माण (क्षेत्र के) मूल्य वर्धन में सेवाओं के प्रत्यक्ष सहयोग का एक संकेतक है, विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में 'वित्तीय मध्यस्थता सेवाओं से मापित' एफ आई एस आई एम) का अंश। 1990-91 के 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 7.6 प्रतिशत हो गया । प्रायोगिक प्रमाणों के अनुसार, सभी क्षेत्रों की उत्पादन प्रक्रियाओं में 'सेवाओं' का योगदान लगातार बढ़ रहा है (प्रधान, ईटीएल, 1999)। गैर सेवा क्षेत्रों पर सेवा क्षेत्रों के विस्तारी प्रभाव का माप, एक निविष्टि-उत्पाद ढाँचे में इनपुट-आउटपुट फेम वर्क) उर्ध्वमुखी समाकलन (वेर्टिकल इन्टेग्रेशन) के सूचकांक की सहायता से किया जाता है (भौमिक, 2000)। व्यापार अर्थव्यवस्था के बाकी संघटकों की वृद्धि के लिए सब से अधिक प्रेरणा प्रदान करता है तथा वह स्वयं से हुए प्रत्यक्ष मूल्यवर्धन के चौदह गुणा मूल्यवर्धन अप्रत्यक्ष रूप में प्रदान करता है। अन्य सेवाओं का अर्थव्यवस्था के बाकी घटकों पर अगला अधिकतम प्रभाव है जो प्रत्यक्ष योगदान के 9 गुणा अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करता है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं का योगदान बढ़ रहा है। उर्ध्वमुखी खण्डों पर सॉफ्टवेयर उद्योगों के फोकस (केन्द्रीकरण) के खण्डवार विश्लेषित आँकड़े यह दर्शाते हैं कि कुल विनिर्माण कंपनियों के 72 प्रतिशत अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करते हैं। आई टी (सूचना प्रौद्योगिकी) सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के उत्पाद तथा अनुप्रयोगों (पैकेजों) की बिक्री का 40 प्रतिशत परिवहन, संचार आदि बुनियादी सेवाएं विनिर्माण क्षेत्र की अत्यावश्यक निविष्ट वस्तुएं हैं जिनकी अपर्याप्तता उत्पादन वृद्धि के लिए बाधा बन सकती है। इस के अलावा, इन सेवाओं की उपलब्धता (का केन्द्रीयकरण), कुछ हद तक, औद्योगिक अवस्थिति का पैटर्न निर्धारित करता है। भारतीय संदर्भ में यह प्रमाणित हो चुका है कि सकल देशी उत्पाद तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले घट-बढ़ में परिवहन तथा संचार सेवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भारत में बुनियादी सेवाओं में मौजूद उल्लेखनीय मांग-आपूर्ति अंतर, माल उत्पादक क्षेत्रों में, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में, उच्चतर उत्पादन वृद्धि प्राप्त करने के लिए गंभीर चुनौतियाँ खड़ा करेगा।

संदर्भ

1. भौमिक (2000), रोल ऑफ सर्विसिज सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी : ऍन इनपुट - आउट पुट एप्रोच, अर्थ विज्ञान, खंड XII सं.2।
2. प्रधान, बी. के, ए.साहू, एम.आर सलूजा (1999), 'ए सोश्यल एकाउन्टिंग मेट्रिक्स फॉर इंडिया, 1994-95", इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खंड XXXIV, सं.48